एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

मणिकांचन

डॉ. भीम राव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर विशेषांक

एमएमटीसी लिमिटेड, राजभाषा प्रभाग, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

विषय-सूची

संपादकीय	1
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
निदेशक (कार्मिक) का संदेश	3
भारतीय संविधान की प्रस्तावना	4
बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन वृत	5–6
बुद्धम शरणम गच्छामि	7
एमएमटीसी में भीम राव अंबेडकर की जयंती का आयोजन	8–10
भारत रत्न डॉ. भीम राव अंबेडकर– सरल व्यक्ति, विरल व्यक्तित्व	11–13
डॉ. भीमराव अंबेडकरः एक मेधावी छात्र	14–15
6 दिसंबर 2015 को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया	16–17
डॉ. बी आर अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण के अंश	18–19
एमएमटीसी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में अंबेडकर जयंती उत्सव	20
डॉ. अंबेडकर का मानव अधिकारों का आंदोलन	21–26
डॉ. बी.आर. अंबेडकरः एक युग दृष्टा	27–28
बहुमुखी प्रतिभा के धनीः भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर	29–30
सामाजिक समता और राष्ट्र निर्माण के पथप्रदर्शक डॉ. भीम राव अंबेडकर	31–35
अंबेडकर : समस्याओं का अदृश्य प्रबंधन	36–38
डॉ. बी. आर. अंबेडकर एवं भारत में महिला सशक्तिकरण	39–43
डॉ. अंबेडकर – एक महान अर्थशास्त्री	43–44
बाबा साहेब और बौद्ध धर्म युग पुरुष भारत रत्न	45–47
बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर जी	48–52

संरक्षक
वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संपादक मण्डल
राम पाल,
राम फल यादव,
दिनेश कुमार,
विनय कुमार, स्निग्धा त्रिपाठी

प्रकाशन सहयोग
कारपोरेट कम्युनिकेशन प्रभाग
कारपोरेट कार्यालय

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का पूरा दायित्व स्वयं लेखकों का है। अतः पत्रिका में निहित रचनाओं के लिए एमएमटीसी उत्तरदायी नहीं होगा।

संपादकीय

बाबा साहब अंबेडकर उन महान व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने जीवन में बहुत ही उद्दात मानक निर्धारित किए तथा उनके लिए जीए भी। उनका पूरा जीवन उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना के संघर्ष में बीता। बाबा साहब के शब्दों में "जीवन लंबा नहीं बल्कि सार्थक होना चाहिए"। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, समानता और न्याय की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाबा साहब के शब्दों में "हमारा संघर्ष संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता के लिए है न कि मुठ्ठीभर लोगों के आर्थिक व राजनैतिक लाभ के लिए"।

मानवीय आत्म–सम्मान के लिए बाबा साहब के संघर्ष के कई आयाम हैं। उन्होंने समानता, न्याय, समान अवसर के राज्य का सपना देखा था जिसे उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से व्यक्त भी किया। वे जीवन भर लाखों दलित व असहाय वर्ग के लिए संघर्ष कर विजयी रहे।

हमने एमएमटीसी में सदैव ही बाबा साहेब के आदर्शों के महत्व को समझा है। एमएमटीसी सदैव ही अपने कारपोरेट दायित्वों में पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में काम करती रही है। हमने ओड़िशा में कई विद्यालयों के उत्थान में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में भी एमएमटीसी ने समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसमें हैदरपुर, दिल्ली में शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण तथा रंगपुरी पहाड़ी, दिल्ली में पेय जल की व्यवस्था में सहयोग करना प्रमुख हैं। देश के इस महानायक के 125वें जन्मदिवस की स्मृति में हम इस पत्रिका के माध्यम से अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। हम सदैव ही बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर विकास के सोपान पर बढ़ते रहने के लिए कृत संकल्प हैं।

(राम पाल)
अपर महाप्रबंधक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

पिछले एक वर्ष से राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के प्रचार को लेकर आपकी कंपनी में काफी काम हुआ है। इस सिलसिले में हमने **"मणिकांचन"** नाम से एक हिंदी गृह पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया है। कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ राजभाषा कार्यान्वयन में भी निरंतर कार्यरत रही है। इसका संज्ञान लेते हुए आपकी कंपनी को वर्ष 2015 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिन्दी में काम करने के लिए **"विशेष प्रशंसा पुरस्कार"** से भी सम्मानित किया गया है।

चूंकि पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ मना रहा है अतः इस अवसर पर आपकी कंपनी भी बाबा के सम्मान में यह विशेषांक निकाल रही है।

हिन्दी को और अधिक व्यावहारिक व लोकप्रिय बनाने के लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। इससे न केवल हम अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा कर पाने में सक्षम रहते हैं अपितु राजभाषा हिंदी के प्रचार तथा प्रसार के अपने सामाजिक कार्यों को भी भलीं प्रकार से निभा पाते हैं। पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक (कार्मिक) का संदेश

मणिकांचन गृह पत्रिका हमें अपनी राजभाषा हिंदी में स्वयं को व्यक्त करने का अवसर देती है। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि एमएमटीसी में प्रतिक्षा की कमी नहीं है। कर्मचारी बढ़–चढ़ कर अपनी भावनाओं को हिंदी में व्यक्त करने में सक्षम है।

हमारा कारपोरेट कार्यालय दिल्ली में स्थित होने के कारण हमारा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के प्रति दायित्व भी काफी अधिक है। आप सभी के सहयोग से हम इस दायित्व को पूरी निष्ठा व गंभीरता से निभा पा रहे हैं तथा भविष्य में भी आप सभी के सहयोग से इसे जारी रखते हुए सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेगें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसमें अपना पूरा सहयोग देते हुए अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करें। यह हमारी वैधानिक आवश्यकता भी है।

मणिकांचन का यह विशेषांक बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस पर भारत मां के इस महान सपूत को एमएमटीसी की ओर से सम्मान के रूप में निकाला गया है। राष्ट्र के निर्माण में बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर के बहुमूल्य योगदान को रेखांकित करते हुए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2015–16 को बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में पूरे देश में धूम–धाम से मनाने का निर्णय लिया है।

इस महा–पर्व के अवसर पर एमएमटीसी के योगदान के रूप में बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर के जीवन कार्य से संबंधित विचारों को संकलित करके मणिकांचन गृह पत्रिका का यह विशेषांक निकाला गया है। मुझे आशा है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्ष गांठ पर निकाला गया यह विशेषांक पाठकों को बहुत रूचिकर लगेगा।

मैं पत्रिका के इस विशेषांक में सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आभारी हूँ।

(राजीव जयदेव)
निदेशक (कार्मिक)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

- प्रस्तावना में संविधान की आधारभूत आत्मा परिलक्षित होती है।
- प्रस्तावना संविधान का आमूख है जिसमें संविधान में निहित सभी मूलभूत मूल्यों दार्शनिक विचारों का सार है।
- यह प्रस्तावना पूरे लिखित संविधान को प्रतिबिंबित करती है।
- प्रस्तावना में संविधान के सभी प्रमुख अवयव परिलक्षित होते हैं इसलिए यह संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनशील तथा असंशोधनीय है।

– पाठकों की सुविधा के लिए संविधान की प्रस्तावना को नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

भारत का संविधान

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक 1 **(संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य)** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 2 (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख **26 नवम्बर, 1949 ई0** (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन वृत

भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मऊ सैन्य छावनी (मध्य प्रदेश) में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था जो आर्मी कार्यालय के सूबेदार थे और उनकी माँ का नाम भीमाबाई था, वे अपने माँ–बाप की 14 वीं व अंतिम संतान थे। उनका घर महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के अम्बावाड़े नगर में है। उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उनके पिताजी अपने बच्चों को स्कूल में पढने और कड़ी महेनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। स्कूली पढाई में सक्षम होने के बावजूद अंबेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था और अध्यापकों द्वारा न तो उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था, न ही उनकी कोई सहायता की जाती थी। उनको कक्षा के अन्दर बैठने की अनुमति नहीं थी, साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का कोई व्यक्ति ऊँचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था। क्योंकि ऐसा करने से पात्र और पानी दोनों अपवित्र हो जाते थे। अंबेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को पानी पिलाने का काम आमतौर पर स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था। चपरासी की अनुपस्थिति में उन बालकों को प्यासे रहना पड़ता था। स्कूली दिनों के प्यास वाली तड़प को बाद में उन्होंने "ना चपरासी, ना पानी" शीर्षक लेख के माध्यम से प्रकाशित कर दुनिया के लोगों के सामने भारतीय वर्ण–आधारित स्कूली व्यवस्था को उजागर किया।

1894 अंबेडकर के पिता के सेवानिवृत हो जाने के बाद उनका पूरा परिवार सातारा चला गया जहां दो साल बाद अंबेडकर की माँ की मृत्यु हो गयी। रामजी सकपाल के केवल तीन बेटे, बलराम, आनंदराव और भीमराव तथा दो बेटियां मंजुला एवं तुलासा ही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर उन्होंने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गाँव के नाम "अम्बावाड़े" पर आधारित था।

डॉ. भीमराव अंबेडकर को आम तौर पर बाबासाहेब के नाम से जाने जाता हे। वे एक भारतीय न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनेता, विधिवेता और सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने आधुनिक बुद्धिस्ट आन्दोलनों को प्रेरित किया और सामाजिक भेद–भाव के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें उनके कुछ स्वर्ण साथियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्त्रियों और मजदूरो के हकों के लिए भी प्रमुखता से आवाज़ उठाई। कानून मंत्री रहते हुए हिन्दू कोड बिल और श्रम मंत्री रहते हुए श्रम सुधार बिल पेश किए जो आने वाले दिनों में समाज सुधारक एवं विधि–निर्माताओं के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य आज भी कर रहा है। भारतीय संविधान निर्माता के साथ–साथ वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भी थे।

अंबेडकर एक देदीप्यमान विधार्थी थे, कोलम्बिया विश्वविधालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड इंटेलेक्टुअल सर्वे में बाबा साहब को सर्वोच्च स्थान मिला। यह परिणाम न केवल वंचित समाज अपितु पूरे भारतवासियों के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कोलम्बिया विश्वविधालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त किया।

उन्होने अपना प्रारंभिक कैरियर अर्थशास्त्री के रूप में शुरू किया फिर एक अध्यापक और वकील के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किए। उन्होंने हिन्दू धर्म त्याग

कर सन 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहब द्वारा अपनाया गया करुणा और मैत्री वाला धर्म धीरे–धीरे बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित करने लगा। कालांतर में जो लोग बौद्ध धर्म को नकारते थे अब वे ही उसके उपासक के रूप में खुल कर सामने आने लगे। एक सफल जीवन यात्रा के बाद 6 दिसंबर 1956 को 63 वर्ष की आयु में बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर का देहांत हो गया।

जीते जी बाबा साहब को विद्वान के रूप में ख्याति तो मिल गयी थी लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ–साथ अंबेडकर की महता दिनों– दिन बढ़ती गयी। 1990 में तत्कालीन भारत सरकार ने बाबा साहब को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया।

बाबा साहब द्वारा वंचितों के हित में किए गए अन्य कार्य जो बहुसंख्यक समाज के जीवन को सार्थक बनाने के कार्य हैं, इस प्रकार हैं:–

1920 में 'मूक नायक' अखबार शुरु करके अस्पृश्यों की सामाजिक और राजकीय लड़ाई की शुरुवात की।

1920 में कोल्हापुर के माणगाव गांव में आयोजित अस्पृश्यता निवारण परिषद में हिस्सा लिया।

1924 में उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारनी सभा' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित समाज में जागृत पैदा करना था।

1927 में 'बहिष्कृत भारत' नाम का पाक्षिक शुरु किया।

1927 में महाड में पीने के पानी का सत्याग्रह करके जलाशय को दलितों के लिए खोला।

1927 में जातिव्यवस्था को मान्यता देने वाले 'मनुस्मृती' का निषिद्ध किया।

1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में उन्होंने प्राध्यापक के पद पर काम किया।

1930 में नासिक के 'कालाराम मंदिर' में दलितों को प्रवेश हेतु सत्याग्रह किया।

1930 से 1932 में इंग्लैंड यहां हुये गोलमेज परिषद् में दलितों के प्रतिनिधि बनकर उपस्थिति रहे। उन्होंने दलितों के लिये स्वतंत्र मतदान संघ की मांग की। 1932 में इग्लैंड के पंतप्रधान रॅम्स मॅक्ड़ोनाल्ड ने 'जातीय निर्णय' जाहिर करके अंबेडकर की उपर वाली मांग मान ली।

1935 में डॉ. अंबेडकर को मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के अध्यापक के रूप में चुना गया।

1936 में सामाजिक सुधारों को लेकर उन्होंने 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' स्थापना की।

1942 में 'शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन' नाम के पक्ष की स्थापना की।

1942 से 1946 में उन्होंने गवर्नर जनरल के कार्यकारी मंडल में 'श्रम मंत्री' बनकर कार्य किया।

1946 में 'पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी' की स्थापना की।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बनकर काम किया। उन्होंने बड़ी मेहनत से भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया।

1956 में नागपुर के एतिहासिक कार्यक्रम में उन्होंने अपने दो लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।

डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें:–

– हु आर शुद्राज?

– दि अनटचेबल्स,

– बुद्ध ॲड हिज धम्म,

– दि प्रब्लेंम ऑफ रूपी,

– 'थॉटस ऑन पाकिस्तान', इत्यादि हैं।

विनय कुमार
उप प्रबन्धक (राजभाषा)

बुद्धम शरणम गच्छामि

संविधान का प्रारूप तैयार करते समय बाबा साहब पर काम का बहुत ही भारी बौझ आ पड़ा था। परिणाम स्वरूप वे बीमार रहने लगे तथा उन्हें अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ा। अस्पताल में उनकी मुलाकात सविता कौर–एक प्रसिद्ध डॉक्टर से हुई। जैसे ही दिन गुजरते गए बाबा साहब की निर्भरता सविता कौर पर बढ़ती गई। वे पिछले 20 वर्षों से एकाकी जीवन जी रहे थे। सविता कौर स्वर्ण साश्वत ब्राहमण जाति से संबंध रखती थी जबकि बाबा साहब इस व्यवस्था में जाति के सबसे नीचे के पायदान पर थे। परंतु यह उनके रास्ते की बाधा नहीं बना और दोनों 15 अप्रैल 1948 को विवाह बंधन में बंध गए। अपने जीवन की पूरी राजनतिक यात्रा के दौरान बाबा साहब यह मानते रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के जीवन में धर्म का बहुत ही महत्व है। उनके विचार में "मनुष्य केवल पेट भरने के लिए ही समाज में जीवित नहीं है उसे अपने विचारों के लिए भी भोजन चाहिए"।

वर्षों के तिरस्कार के बाद उन्हे हिंदु धर्म से उन्हें नफरत हो गई थी। उन्होंने एक बैठक में यह संकल्प लिया "मैं हिंदु पैदा अवश्य हुआ हुँ परंतु हिंदु मरूंगा नहीं"।

बाबा साहब की रूचि बौद्ध मत में 40 साल पहले उस समय पैदा हुई जब उन्हे श्री के.ए. कलुस्कर ने भगवान बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक भेंट की। बाबा साहब उस समय केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने इस अल्प आयु से ही हिन्दु धर्म में व्यापत असमानताओं तथा अन्याय के विरूद्ध लड़ाई शुरू कर दी थी।

वर्ष 1945 में बाबा साहब ने बौद्ध मत पर एक सभा में भाग लिया जिसमें व्यक्त विचारों से उन पर बौद्ध मत का भारी प्रभाव पड़ा।

बाबा साहब ने जून 1946 में पीपुल एज्यूकेशन सोसाइटी के लिए सिद्धार्थ कॉलेज के स्थापना की। 24 मई, 1956 को मुंबई में बुद्ध जयंती के अवसर पर बाबा साहब ने यह घोषणा की वे अक्तूबर में महीने में हिंदू धर्म का त्याग करके बुद्ध धर्म अपना लेंगे। तद्नुसार 14 अक्तूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। उन्होंने दलित तथा कमजोर वर्ग के लोगों को भी हिंदू धर्म का त्याग करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि हिंदु धर्म ने उन्हें गुलामी के अलावा और कुछ नहीं दिया था।

इस समय बाबा साहब का स्वास्थ्य काफी खराब रहने लगा था। 4 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स का अंतिम अध्याय लिख कर टाईपिंग के लिए दिया था।

रात को बाबा साहब ने रेडियोग्राम पर अपना प्रसिद्ध गाना सुना तथा भोजन किया। उसके बाद उन्होंने बुद्ध और उनका **धम्म** पुस्तक के टाईप किए गए पेजों को देखा तथा कुछ मित्रों को पत्र लिखे। इसके बाद बाबा साहब थक कर सो गए। यह 6 दिसंबर 1956 की अल सुबह की बात है। उनकी पत्नी सविता ने प्रातः भ्रमण पर जाने से पहले बाबा साहब पर एक नजर डाली तो उन्होंने बाबा साहब को गहरी नींद में सोते हुए पाया। बाबा साहब की नींद में व्यवधान में न पड़े इसलिए वे उन्हे बिना जगाए हुए प्रातः भ्रमण के लिए चली गई। प्रातः भ्रमण से लौटने पर भी सविता जी ने बाबा साहब को सोते हुए ही पाया। उन्होंने उन्हें जगाने की कोशिश की परंतु उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। बाबा साहब नींद में ही शांति से इस संसार को अलविदा कह चुके थे। दुख की बात है कि भारत में बुद्धिज्म को पुनः स्थापित करने का उनका सपना भी अधूरा रह गया था।

बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं थे। उनका अंतिम संस्कार मुबंई, दादर में बौद्ध धर्म के रीति–रिवाजों के अनुसार किया गया। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। बड़ी–बड़ी जानी मानी हस्तियों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लेकर दलितों के इस मसीहा तथा भारतीय संविधान के रचेयता को अपनी श्रद्धांजली अपर्ति करते हुए नमन किया।

बाबा साहब को सरकार की तरफ से अनेकों पुस्कार तथा सम्मानों के अतिरिक्त "भारत रत्न" की उपाधि भी प्राप्त है। बाबा साहब को सदैव ही न्याय, सम्मानता तथा विद्वता की मूर्ति के रूप में माना जाता रहेगा। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बहुत–सी विसंगतियों के विरूद्ध संघर्ष कर विजय प्राप्त की। डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत की एतिहासिक यात्रा में एक मिल का पत्थर है।

पवन कुमार
हिन्दी टाइपिस्ट

एमएमटीसी में भीम राव अंबेडकर की जयंती का आयोजन

देश भर में भारतीय संविधान के शिल्पोकार, बौधिसत्वं भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की 125 वीं जन्म शताब्दी की बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इसी संदर्भ में यह जानकर बहुत हर्ष होता है कि एमएमटीसी भी बाबा साहेब की जयन्ती मना रही है।

बाबा साहेब देश के उन प्रखर नेताओं में एक हैं, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना अकथनीय एवं अमूल्य योगदान दिया। वे भारत के संविधान निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, महान चितंक, शोषित एवं दलितों के मसीहा एवं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने न केवल दलित व पिछड़े समाज को उँचा उठाने एवं उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान तथा अधिकार दिलाने में अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनेको कार्य किए।

बाबा साहेब ने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव की पीड़ाओं को झेलते हुए अपने प्रबल आत्म बल के दम पर आगे बढकर संघर्ष किया। उन्होंने मानसिक कष्ट और अपमान सहकर भी अपने अध्ययन को जारी रखा और कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की तथा लंदन से बैरिस्टरी के साथ साथ अन्य ढेरों डिग्रिया हासिल की। उनकी शिक्षा के कारण बाबा साहेब की गिनती दुनिया के सबसे अधिक पढें लिखे लोगों में की जाती है।

उन्होंने जातिवाद का पुरजोर विरोध करते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन और दर्शन अनेको सामाजिक, आर्थिक, एवं धार्मिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। बाबा

साहेब ने भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों एवं अज्ञानता से त्रस्त शोषित एवं दलित समाज को जागृत किया। बाबा साहेब के नारे 'शिक्षित बनो, संगठित हो, और संघर्ष करो' ने तो जैसे दलित समाज के लोगों में जान ही फूंक दी। उनके इस नारे से प्रेरणा लेते हुए दलित समाज के लोगों ने संघर्ष किया।

अनेक कष्ट को सहन करते हुए, अपने कठिन संघर्ष और कठोर परिश्रम से उन्होंने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके शोध "भारत का राष्ट्रीय लाभ" के कारण उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सामाजिक कुरीतियों की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सबके बावजूद आत्मबल के धनी भीमराव आगे बढ़ते रहे।

बाबा साहेब ने महिलाओं को सम्मान एवं समता का अधिकार दिलाने और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में विकास करने का अवसर दिये जाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संविधान के द्वारा महिलाओं को अनेक अधिकार दिए जिनमें पिता की सम्पति में पुत्री का अधिकार, प्रसूति अवकाश, महिलाओं को सम्मांन कार्य व समान वेतन का अधिकार, विधवा विवाह, तलाक देने का अधिकार इत्यादि प्रमुख हैं।

उनका ये मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगता है कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।

बाबा साहेब द्वारा किए गए अन्य कार्यों में प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

1. सभी नागरिकों को एक वोट का अधिकार।
2. श्रमिकों के लिए श्रम की अवधि 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे निश्चित करना।
3. रिजर्व बैंक की स्थापना करने में योगदान।
4. विभिन्न परियोजनायों एवं बांधों का निर्माण करने में योगदान।

देश की सेवा में उनके महान योगदान के लिए मरणोपरांत 1990 में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरूस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से अलंकृत डॉ. भीमराव अम्बेडकर का अथक योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्य है भारत भूमि जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया।

मैं आशा करता हूँ कि इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों को बाबा साहेब के कार्यों एवं आदर्शों को जानने का अवसर मिलेगा तथा साथ ही यह भी ज्ञात होगा कि बाबा साहेब न केवल दलितों एवं पिछडों के नेता थे, अपितु वह हर जाति, वर्ग पूरे देश के नेता थे। जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया।

मैं बाबा साहेब की 125 वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर अपनी ओर से व फेडरेशन/एशोसिएशन की ओर से एमएमटीसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

जय भीम, जय भारत।

अशोक कुमार

अध्यक्ष, अखिल भारतीय एमएमटीसी अ०जा०/
अ०ज०जा० कल्याण महासंघ

भारत रत्न डॉ. भीम राव अंबेडकर– सरल व्यक्ति, विरल व्यक्तित्व

भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीम राव अंबेडकर को प्रेम से सभी बाबा साहेब कहकर पुकारते हैं।

बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सफलता का अकल्पनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय जाति प्रथा की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही उपेक्षा और असमानता का दंश झेला। इन आघातों ने उन्हें वज्र सा मजबूत बना दिया और अपनी असीम इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर वो आधुनिक भारत के निर्माण में मील के पत्थर साबित हुए।

महान नेता डॉ. भीम राव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को अपने माता–पिता की चौदहवीं व अंतिम संतान के रूप में महार जाति (जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे) में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू (जिला इदूर) में हुआ था। डा. भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार मराठी था और वे **अम्बा नगर** (जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है) से सम्बंधित था। अपने एक देशस्त ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम **''अम्बा''** पर आधारित था।

डॉ. अंबेडकर के पूर्वज लम्बे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता, भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे जो ब्रिटिश हुकूमत में किसी भारतीय के लिये सर्वोच्च रैंक था। 1894 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेवा निवृत्त हो गए और इसके दो साल बाद अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची मीरा ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुये की। रामजी सकपाल के केवल तीन बेटे, बलराम, आनंदराव और भीमराव और दो बेटियाँ मंजुला और **तुलासा** ही इन कठिन हालातों मे जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों मे केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुये। स्कूली पढाई में सक्षम होने के बावजूद भी अंबेडकर तथा अन्य दलित बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था और अध्यापको द्वारा न तो उन पर ध्यान दिया जाता था, न ही उनकी कोई सहायता की जाती थी।

छोटी जाति के कारण उन्हें संस्कृत भाषा पढने से वंचित रहना पड़ा था। जहाँ चाह, वहाँ राह को चरितार्थ करते हुए काफी बाद में उन्होने संस्कृत स्वयं सीखी। 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया ।

प्रगतिशील विचारक एवं मानवतावादी बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने भीमराव जी को उच्च शिक्षा हेतु तीन साल तक छात्रवृत्ती प्रदान की, किन्तु उनकी शर्त थी की अमेरिका से वापस आने पर दस वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। भीमराव ने 1913 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यू यॉर्क से पहले एम. ए. तथा बाद में पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की।

उनके शोध का विषय "भारत का राष्ट्रीय लाभ" था।

इस शोध के कारण उनकी बहुत प्रशंसा हुई। उनकी छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिये और बढा दी गई। तत्पश्चात वे इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स में दाखिला ले लिया परंतु बड़ौदा राज्य द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ती समाप्त होने के कारण 1918 में पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर वापस लौट आये। जब भारत वापस आये तो बड़ौदा में उन्हे उच्च पद दिया गया किन्तु कुछ सामाजिक विडंबना की वजह से एवं आवासीय समस्या के चलते उन्हें नौकरी छोड़कर बम्बई जाना पड़ा। बम्बई में सीडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए किन्तु कुछ संकीर्ण विचारधारा के कारण वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सबके बावजूद आत्मबल के धनी भीमराव आगे बढ़ते रहे।

परेशानियों से दो चार होते हुए 1920 में वे पुनः लंदन चले गये। अपने अथक परिश्रम से एम.एस.सी., डी. एस.सी. तथा बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे।

1923 में बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरु की। एक मुकदमे में उन्होंने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करा दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायधीश ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। तत्पश्चात, बाबा साहेब की प्रसिद्धी में चार चाँद लग गये। बाबा साहेब अम्बेड़कर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे।

जिन दलितों को जागृत करने की मुहिम अंबेडकर ने चला रखी थी, उन लोगों ने उन्हें बाबा साहेब कह कर पुकारना शुरू कर दिया और इस प्रकार भीमराव अंबेड़कर के नाम के साथ बाबा साहेब जुड़ गया।

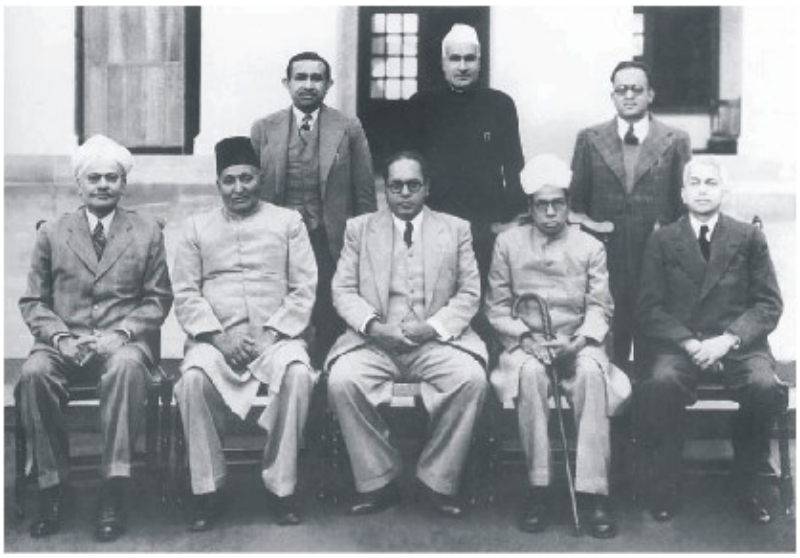

8 अगस्त, 1930 को शोषित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा।

1935 में बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई का देहावसान हो गया। वे मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 1935 से दो साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत रहे। 1935 में ही येओला में दलितों की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होने जाति–प्रथा के विरुद्ध पहली बार अपना रुख हिंदुवाद से इतर परिवर्तन पर जोर देते हुए शपथपूर्ण विश्वास दिलाया कि वह हिन्दू पैदा अवश्य हुए थे लेकिन हिन्दू मरेंगे नहीं क्योंकि उन्हे हिन्दूओं के आवरण में केवल अस्पृश्य ही माना जाता था।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वाइसरॉय ने उन्हे श्रम मंत्री नियुक्त कर दिया परंतु वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें।

1942 में ऑल इण्डिया शैडयूल्ड कास्ट फैडरेशन का गठन हुआ ताकि सारे दलित एक एकीकृत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में संगठित हो सकें।

डॉ. आंबेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। वह इसे मानव जीवन की एक पद्धति मानते थे। उनकी दृष्टि में राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। इसका सबसे बड़ा कार्य समाज की आन्तरिक अव्यवस्था और बाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है। परन्तु वे राज्य को निरपेक्ष शक्ति नही मानते थे। उनके अनुसार किसी भी राज्य ने एक ऐसे अकेले समाज का रूप धारण नहीं किया जिसमें सब कुछ आ जाय या राज्य ही प्रत्येक विचार एवं क्रिया का स्रोत हो।

अपने गुणों के कारण ही संविधान रचना में, संविधान सभा द्वारा गठित सभी समितियों में 29 अगस्त, 1947

को "प्रारूप– समिति" जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी, के अध्यक्ष के रूप में डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में सदस्यों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों, शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण बड़ी ही कुशलता से किया गया। उनके व्यक्तित्व और चिन्तन का संविधान के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके प्रभाव के कारण ही संविधान में समाज के दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिये विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों का निरुपण किया । परिणामस्वरूप, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज प्रारूपित हो गया। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया।

अप्रैल 1948 को डॉ० शारदा कबीर जी बाद में सविता अंबेडकर कहलायी, से उन्होने दूसरा विवाह कर लिया।

अपने विवादास्पद विचारों, और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी जिसके कारण जब, 15 अगस्त, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश का पहले विधि मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।

1950 में वो एक बोद्ध कॉन्फ्रेंस के लिये श्रीलंका गए और भारत वापसी पर बंबई में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अपनी कठिनाइओं से निजात पाने के लिये लोगों को बोद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। और फिर उन्होंने अपना शेष जीवन बोद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर दिया।

1951 में उन्होने सरकार से इस्तीफा दे दिया और अगले 5 साल तक वे सामाजिक बुराइयों तथा अंधविश्वास के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते रहे।

14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से तीन रत्न ग्रहण किये और पंचशील को अपनाते हुये बौद्ध धर्म ग्रहण किया।

1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के तीन दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अम्बेड़कर का स्वर्गारोहण हो गया। 7 दिसंबर को बौद्ध शैली के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बंबई में किया गया जिसमें अपार समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने उन्हे अपनी भावपूर्ण अंतिम श्रद्धांजलि दी।

डॉ. अम्बेडकर ही एक मात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्टरेट लन्दन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है।

1990 में भारत सरकार ने मरणोपरांत डॉ. भीम राव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया।

जितेंद्र वर्मा
मुख्य प्रबंधक (विधि)

डॉ. भीमराव अंबेडकर: एक मेधावी छात्र

अपने पिता की प्रेरणा से बालक भीमराव ने अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत की। एक दिन पिता राम जी बालक भीमराव के पास एक दुखद समाचार लेकर आए "बेटा मुझे आपको एक बहुत ही दुखद सूचना देनी है" राम जी ने दुखी मन से कहा। "मैं आपकी फीस का इंतजाम करने में असर्मथ हूं"। "पिता जी मुझे पता चला है कि बड़ौदा के महाराज साय जी राव गायकवाड उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं", भीमराव ने कहा। "अगर मुझे यह छात्रवृत्ति मिल जाती है तो आपके सर से एक भारी बोझ उतर जाएगा"।

अंबेडकर को यह छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तथा उन्हे एल्फिसटोन कालेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 25 रुपए महीना बड़ौदा के महाराज से आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1912 में अपनी बी.ए. बी परीक्षा पास की। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि अब वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका कमा सकते थे तथा अपने पिता का सहारा बन सकते थे जिन्होंने सदा ही उनकी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत तथा संघर्ष का सामना किया था।

अब उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। "मुझे बड़ौदा रियासत में सरकारी नौकरी मिल गई है। मैं अब आप लोगों की देखभाल कर सकता हूं", भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता को लिखा। "बेटा यह बहुत शुभ समाचार है। परंतु रियासत की सभी बड़ी नौकरियों पर ब्राहमण बैठे हुए हैं। वे तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे"। पिता ने उत्तर में लिखा।

राम जी का संदेह सही था। जब अंबेडकर ने बड़ौदा में काम करना आंरभ किया तो चपरासी भी उनके निकट नहीं फटकते थे। वो दूर से ही उनकी मेज पर फाइल पटक देते थे। भीमराव की तकलीफ तब और बढ़ गई जब नौकरी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही उन्हे मुंबई से एक तार मिला जिसमें लिखा था "पिता बहुत बीमार है शीघ्र आओ"। भीमराव अगली ही ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रूकी तो उन्होंने गाड़ी से उतर कर बर्फी खरीदी जो उनके पिता की पंसदीदा मिठाई थी।

अंबेडकर अभी मिठाई खरीद ही रहे थे कि गाड़ी चल पड़ी और वो भाग कर भी गाड़ी नहीं पकड पाए। परिणामस्वरूप उन्हे पूरी रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ी क्योंकि उस स्टेशन से मुंबई के लिए अगली गाड़ी सुबह से पहले नहीं थी। अंबेडकर जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को गंभीर रूप से बीमार पाया। पिता पुत्र दोनों गले मिले और उसके तुरंत बाद ही राम जी ने संतोष की अंतिम सांस लेते हुए इस संसार को अलविदा कह दिया।

शायद उनके प्राण भीमराव को अंतिम बार देखने के लिए अटके हुए थे। राम जी के भाग्य में अपने पुत्र को भविष्य में बड़ी ऊचांईयों को छूते हुए देखना नहीं लिखा था। भीमराव की तो जैसे दुनिया ही लूट गई थी। उनके पिता उनके बहुत बड़े मार्गदर्शक और मित्र थे। भीमराव के चरित्र के निर्माण में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान व बलिदान था। परंतु अब वे इस संसार से जा चुके थे।

एक दिन डा. केलुसकर भीमराव से मिले और उन्हें बताया "बड़ौदा के महाराज की कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भेजने की योजना है"। "आप इसके लिए क्यों प्रयास नहीं करते"? अंबेडकर ने इसके लिए आवेदन किया तथा छात्रवृत्ति के लिए उनका चयन हो गया। उन्होंने शिक्षा पूरी होने के बाद बड़ौदा रियासत में 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के लिए करार किया था।

जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में भीमराव न्यूयार्क पहुंचे। यह उनके जीवन का बहुत ही अविस्मरणिय दिन था क्योंकि आज उन्होंने जीवन में पहली बार समानता का अनुभव किया था। न्यूयार्क में किसी तरह की छूआछूत नहीं थी। अंबेडकर की महार जाति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नही था। जीवन में पहली बार उन्होंने अन्य मनुष्यों की भांति स्वयं को समान पाया। अंबेडकर ने मन लगाकर दिन–रात पढ़ाई की। वे एक दिन में 18 घंटे से अधिक परिश्रम करते थे। उन्हे बहुत कुछ प्राप्त करना था। अतः उनके पास सिनेमा इत्यादि मनोरजंनों के लिए कोई समय नहीं था। वर्ष 1915 में उन्होंने अपनी एम.ए. की परीक्षा पास की तथा वर्ष 1916 में पीएचडी की।

वे उसी वर्ष लंदन के लिए निकल पड़े तथा वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एण्ड पोल्टिकल सांइस में दाखिला ले लिया। हालांकि बड़ौदा के महाराजा द्वारा छात्रवृत्ति रोक देने पर उन्हें पढाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति को पुनः बहाल करने का भरसक प्रयास किया परंतु सफलता हाथ नहीं लगी।

वर्ष 1917 में अंबेडकर को बड़ौदा रियासत में नौकरी पर रख लिया गया परंतु जाति–प्रथा ने उनका अभी तक भी पीछा नहीं छोड़ा था। उन्हें कहीं भी ऐसा सत्कार नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। कोई होटल उन्हें अपने यहां रखने के लिए तैयार नहीं था और न ही कोई होस्टल उन्हें जगह देता था।

"पारसी लोग जाति में विश्वास नहीं करते" यह सोचकर अंबेडकर ने पारसी गेस्टहाउस का रूख किया और वहां पहुंच कर चैन की सांस ली कि चलो कम से कम अब उन्हें वहां कोई परेशान नहीं करेगा। परंतु यह भी बहुत देर नहीं चल पाया। एक दिन गेस्ट हाउस के मालिक ने उन्हें बुलाया और कहा "क्या यह सच की आप छोटी जात के हैं? "जी हां" अंबेडकर ने उत्तर दिया। "मेरे गेस्ट हाउस से तुम तुरंत बाहर निकल जाओ" पारसी मालिक ने नाराज होकर कहा।

"मुझे कोई दूसरा इतंजाम करने के लिए कुछ दिनों की मौहलत दे दीजिएगा"। अंबेडकर ने यह कहते हुए नाराज गेस्ट हाउस के मालिक को समझाने की कोशिश की। "दरबान, इस आदमी को इसके समान के साथ बाहर फेंक दो"। गेस्ट हाउस का मालिक चिल्लाया। अब अंबेडकर सड़क पर थे तथा उन्हे आश्रय देने वाला कोई नहीं था। दुखी और निराश मन से वे मुंबई वापिस आ गए जहां उन्होंने स्टॉक तथा शेयर पर परामर्श देने के लिए एक फर्म खोल ली। परंतु जैसे ही उनके क्लाइंटस को उनकी जाति के बारे में पता चलता वे उनके पास आना ही बंद कर देते। हांलाकि वे अपने काम में बहुत ही कुशल थे परंतु जात–पात के भेदभाव के चलते उन्हें यह काम भी करना बंद करना पड़ा।

वर्ष 1918 में उन्हें सिडिनिहम कॉलेज में लैक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई। वे एक बहुत ही प्रभावी वक्ता थे। प्रायः दूसरे कॉलेजों से विद्यार्थी उनका लैक्चर सुनने के लिए आते थे।

11 मार्च 1920 को कानून तथा राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए वे लन्दन रवाना हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर कठिन परिश्रम किया। क्योंकि वे पुस्तकों की खरीद पर अधिक खर्च करने में समर्थ नहीं थे इसलिए वे लन्दन यूनीवर्सिटी जनरल लाइब्रेरी, गोल्डस्मिथ लाइब्रेरी ऑफ इक्नामिक लिटरेचर्स, ब्रिटिश मयूज्यिम लाइब्रेरी तथा इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के सदस्य बन गए।

उनके पास प्रायः खाने के भी पैसे नहीं होते थे परंतु इससे उनके परिश्रम में कभी कोई बाधा नहीं पड़ी। वर्ष 1923 में वो बार के सदस्य बन गए तथा उसी वर्ष एक योग्य बैरिस्टर तथ अर्थशास्त्री बन कर भारत लौट आए।

राम पाल,
अपर महाप्रबंधक

6 दिसंबर 2015 को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया

हर साल 6 दिसंबर को भारतरत्न डॉ भीमराव रामजी अम्बेड़कर की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चौत्य भूमि, दादर, मुंबई में महापरिनिर्वारण दिवस मनाया जाता है।

अपनी अंतिम पांडुलिपि को पूरा करने के तीन दिन बाद बाबासाहेब का 6 दिसंबर, 1956 दिल्ली में अपने निवास पर उनका निधन हो गया। उसके बाद उनका शव दिल्ली से मुंबई लाया गया। उनकी शवयात्रा लगभग दो मील लंबी थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनका अंतिम संस्कार 7 दिसंबर, 1956 को दादर चौपाटी पर बौद्ध शैली से किया गया।

इसके बाद 16 दिसंबर, 1956 को धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे कि वे लोग उसी स्थान पर बौध्द धर्म को ग्रहण कर लें जिन्होनें बाबा साहब की अंतिम संस्कार में सिरकत की थी। इस घटना के कारण ही दादर चौपाटी को 'चौत्यर भूमि' के नाम से जाना जाता है।

उनको आदर एवं सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से लाखों लोग देश के विभिन्न भागों से अपने प्रिय नेता डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए इकठ्ठा होने लगते हैं। हम सभी भारतीयों को भारतीय संविधान के निर्माण के उनकी महान देन को नहीं भुलाना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों को बोलने की आजादी मिली। हमारी आजादी के लिए किए गए महान कार्य के लिए बाबा साहब हमें हमेशा याद रहेंगे।

'पे बैक टू सोसायटी' की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों के कार्यालय, निकाय, विभाग जिसमें केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल हैं, वे मुंबई नगर निगम के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चैत्य भूमि पर आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त खाना, पानी, चिकित्सा शिविर, आई कैम्प, साफ–सफाई इत्यादि की व्यवस्था करते है। एमएमटीसी एससी/एसटी कर्मचारी संघ, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई भी पिछले 20 वर्षों से इस नोबेल कार्य के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी इंडियन ऑयल कारपोरेशन और **म्हाड़ा** के सहयोग से एमएमटीसी एससी/एसटी कर्मचारी संघ, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने चौत्य भूमि पर 5 एवं 6 दिसंबर को वहां आए श्रद्धालुओं को मुफ्त खाना बाँटा तथा उनके लिए फ्री मेडिकल कैम्प तथा आई कैम्प लगाया जिसका बहुत लोगों ने लाभ उठाया। लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार फ्री चश्में भी बाँटे गए।

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन प्रभारी श्री अश्वनी सोंधी, कार्यकारी निदेशक ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जिसमें डॉ. भीमराव आंबेडकर के पोते शामिल हैं, तथा इंडियन ऑयल कारपोरेशन और **म्हाड़ा** के अधिकारियों की उपस्थिति में मेडिकल और आई कैम्प का चैत्य भूमि पर उद्घाटन किया। श्री सोंधी ने लोगों को भोजन और चश्में बांटे। उन्होंने संघ के सभी सदस्यों और डॉक्टर्स के कार्यों के प्रशंसा की। श्री सोंधी ने चैत्य भूमि पर पुष्प चक्र अर्पित करके डॉ. बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी।

हमारी कंपनी के निदेशक श्री राजीव जयदेव जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एमएमटीसी एससी/एसटी कर्मचारी संघ, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के निमंत्रण पर अपनी कृतज्ञता प्रकट की परंतु वे आवश्यक सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएं। एमएमटीसी एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण महासंघ के महासचिव श्री शशांक शेंडे, स्थाएनीय कल्याण संघ के पदाधिकारी और इंडियन ऑयल एससी/एसटी कर्मचारी संघ और **म्हाड़ा** के कर्मचारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए

तीन संस्थानों के कर्मचारियों की पांच समितियां बनाई गयी थी। इन समितियों के सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। दो दिनों के कार्यक्रम के दौरान 2100 चश्में, 50,000/– रूपए की दवाईयाँ और 500 किलों खाद्य सामग्री श्रद्धालुओं में वितरित की गई।

इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए श्री शशांक शेंडे ने एमएमटीसी प्रबंध तंत्रों का उनके सतत सहयोग तथा महान कार्य में सहभागिता के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने उन सभी लोगों का भी आभार प्रकट किया जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, वित्तीय सहायता तथा नैतिक सहयोग प्रदान दिया।

लीलाधर सोनकुसरे
महासचिव, एममएटीसी एससी/
एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, मुम्बई

डॉ. बी आर अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण के अंश

डॉ. बी आर अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए आखिरी भाषण के अंश अपने इस ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब ने न सिर्फ भारतीय संविधान के बारे में बताया है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों पर भी गहराई से प्रकाश डाला है। बाबा साहब के इस भाषण का एक–एक शब्द आज के समय में प्रासंगिक है।

महाशय, 9 दिसंबर, 1946 की पहली बैठक के बाद हम लोगों को संविधान सभा पर काम करते हुए 2 वर्ष, 11 माह और 17 दिन हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र बुलाए गए। 11 में से पहले 6 सत्र मूल अधिकार, संघ के संविधान, संघ की शक्ति, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति जैसे मुद्दों पर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने और उद्देश्यों को पारित कराने में बीत गए। 7, 8, 9, 10 और 11वें सत्र में संविधान के प्रारूप पर विचार करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। संविधान सभा के इन 11 सत्रों में कुल 165 दिनों का समय लगा। इसके अतिरिक्त संविधान के प्रारूप पर विचार करने में सभा को 114 दिनों का समय लगा। प्रारूप समिति 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से अगले 141 दिनों तक यह समिति प्रारूप संविधान बनाने में व्यस्त रही। संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाया गया प्रारूप संविधान प्रारूप समिति के लिए एक ऐसा विषय था, जिस पर प्रारूप समिति को काम करना था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति

द्वारा संविधान सभा के लिए बनाए गए पहले प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अंत में प्रारूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 386 कर दी गई, लेकिन जब प्रारूप संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रारूप संविधान जब सामने लाया गया, तो इसमें लगभग 7,635 संशोधन हुए थे, लेकिन वास्तव में इन संशोधनों में से 2,473 को ही लिया गया था। मैं इन तथ्यों को इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि सभा ने इस कार्य को करने में न केवल बहुत अधिक समय लिया, बल्कि जनता का धन भी खर्च किया। मैं अन्य देशों की संविधान सभाओं के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जिनका उस देश के संविधान निर्माण के लिए गठन किया गया था। संविधान निर्माण के लिए अमेरिकी सभा की 25 मई, 1787 की बैठक के बाद चार महीने लगे और उसने अपना काम 17 सितंबर, 1787 को पूरा किया। कनाडा की संविधान सभा की बैठक 10 अक्टूबर, 1867 को हुई और संविधान कानून के रूप में सामने आया मार्च, 1867 में। इसमें कुल 2 साल और पांच महीने लगे। ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा का गठन मार्च, 1891 में हुआ और संविधान कानून के रूप में सामने आया 9 जुलाई, 1900 को। इसमें नौ साल लग गए। दक्षिण अफ्रीकी संविधान सभा का गठन 20 सितंबर, 1908 को हुआ और संविधान कानून के रूप में सामने आया 20 सितंबर, 1909 को। इसमें एक साल लगा। यह सत्य है कि हमने अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की संविधान सभा की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन इस सत्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि संविधान के निर्माण में हमने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभाओं से काफी कम समय लिया। संविधान निर्माण में समय की खपत की बात हो रही है, तो इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान से काफी छोटे हैं और दूसरी यह कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान के पहले 4 अनुच्छेद विभिन्न भागों में विभाजित हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 21 हो जाती है। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 भाग हैं। एक और बात, जो इस मामले में ध्यान देने वाली है, वह यह कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में संशोधनों की समस्या नहीं है। उन्हें उसी रूप में पारित कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए, तो हमारी संविधान सभा को 2,473 संशोधनों पर काम करना पड़ा। इन सारे तथ्यों को देखने के बाद संविधान सभा पर लगने वाले सारे आरोप निराधार हैं। संविधान सभा के लोगों को कम से कम समय में यह जटिल कार्य पूरा करने के लिए बधाई देनी चाहिए।

महेन्द्र सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा), मुंबई

एमएमटीसी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में अंबेडकर जयंती उत्सव

एमएमटीसी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में दिनांक 03.07.2015 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जंयती के उपलक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चेन्नई नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 100 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें भेंट की गई। पूर्व सांसद श्री थिरूमलवलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में अंबेडकर के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए समाज में और अधिक शिक्षा व नैतिकता का प्रचार फैलाने पर बल दिया। उनके विचार में डॉ. भीमराव अंबेडकर वो महानायक थे जिन्होंने देश के दलित व पिछडे लोगों को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की राह दिखाई। श्री थिरूमलवनल ने बाबा साहब को स्वतंत्र भारत का एक महानतम नेता बताया।

कार्यक्रम के आयोजन में श्री डी कबाली, मुख्य प्रबंधक ने बाबा साहब की प्रशंसा में एक सार गर्भीत कविता पढ़ी। जिसमें उन्होंने शांति तथा अहिंसा पूर्वक अपने अधिकारों के लिए संर्घष करते हुए विजयी रहने का भाव वयक्त किया। क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई के प्रमुख, महाप्रबंधक श्री जे.वी.एन राव ने इस अवसर पर बोलते हुए बाबा साहब द्वारा भारतीय समाज के लिए उनके योगदान तथा बलिदान की प्रशंसा की। उन्होंने बाबा साहब को अब्राहिम लिंकिन, डॉ नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं की श्रेणी में रखा। अन्य दूसरे वक्ताओं ने भी बाबा साहब के योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्हें नमन किया।

डी. कबाली,
मुख्य प्रबंधक, चेन्नई

डॉ. अंबेडकर का मानव अधिकारों का आंदोलन

वास्तविकतः सभी मानव जन्मतः आजाद है। स्वाधीनता सर्वाधिक अनमोल मानवीय मूल्य है। मानव अधिकार मनुष्य के जन्म से ही उसे प्राप्त होते है और वे अधिकार प्राकृतिक होते हैं। जैसे प्रकृति की हवा में सांस लेना, बारीश जो आसमान से गिरती है और सूर्य की किरणे ये स्पष्ट प्राकृतिक है और इन तीन प्राकृतिक साधनों से दुनिया के किसी भी मनुष्य को कोई धर्म या व्यक्ति वंचित नहीं रख सकता इन चीजों से वंचित रखना असंभव हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब वह अपनी माँ के कोख से निकलने पर पहले खुली हवा में से ऑक्सिजन ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन संघर्ष की शुरूआत करता है।

भारतीय वर्ण व्यवस्था में इतना भेदभाव था कि प्रकृति से प्राप्त पानी भी इससे अछूता नहीं था। डॉ. अंबेडकर धीरे–धीरे भारतीय दलितों की वर्तमान सामाजिक परिस्थियों का अध्ययन कर रहे थे और मन ही मन उन्हें इस वर्ण व्यवस्था से घृणा हो रही थी। उनके मन में ज्वाला फूट रही थी कि अब इन तथाकथित जातिवादियों के खिलाफ अपनी आवाज बूलंद की जाए। तब उन्होंने सार्वजनीक क्षेत्र में प्रवेश कर संघर्ष करने का इशारा किया। लेकिन अपनी आवाज बूलंद करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता को जानकर उन्होंने सन् 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। इस सभा की पहली बैठक निराशाजनक रही किन्तु उसके पश्चात अन्य बैठकें उत्साहवर्धक रही थी और धीरे धीरे इस सभा ने व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लिया इसी सभा के अंतर्गत हुए एक सम्मेलन में उन्होंने अपने सभी अनुयायिओं को संबोधित करते हुए आव्हान किया कि "अपने न्याय और अधिकारों के लिए जान हथेली पर लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाइये। अब हम अपने अधिकार लड़कर लेगे"। इस आव्हान पर सारा दलित समाज उनके समर्थन में उनके साथ हो लिया था।

डॉ. अंबेडकर की यह भीम गर्जना असमानता के खिलाफ विद्रोह की बुलंद ललकार थी जो उनके भीतर के अंतर आत्मा से आयी थी। यह भीम गर्जना उस अन्याय के विरूद्ध थी जो दलित समाज ने झेला था। यह भीम गर्जना उस अन्याय के विरूद्ध थी जो उस पीड़ित समाज ने भोगा था। वास्तव में यह अधिकारों की लड़ाई थी जिसे प्रारम्भ किया जाना था।

इस आंदोलन के आरम्भ के पश्चात वे एक ओर दलित जाति की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सम्बंधी उन्नति में जुट गए और दूसरी ओर उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरन्तर संघर्ष शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने ''बहिष्कृत हितकरणी सभा'' की और से कुछ शहरों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनवाए और सभा सम्मेलनों की गतविधियों में व्यस्त रहे। रोज किसी न किसी जगह भाषण और किसी न किसी अधिकारों के लिए आंदोलनात्मक भूमिका निभाना उनका नित्य नियम बन चुका था। डॉ. अंबेडकर आम आदमी की समस्याओं पर गहराई से विचार करते थे। 1925 में

किसानों की लगान संबंधी समस्या खड़ी होने पर उन्होंने किसानों का साथ दिया और किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही सभी वर्गों के किसान भाईयों का आव्हान किया कि यदि ये दोनों समाज एकजूट होकर अपने अधिकारों और प्रगति के लिए आंदोलन करेंगे तो वे जल्द ही संभ्रात समाज की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे।

मुंबई असेंबली में 1923 को एक प्रस्ताव के द्वारा कानून पास किया गया कि सार्वजनिक पनघट, पाठशाला, अस्पताल, अदालत आदि जगहों पर दलितों को पानी लेने और उसके उपयोग पर से रोक हटा ली थी। ऐसा होने पर भी सवर्ण जाति के कठोर विरोध के कारण इस कानून पर अमल नहीं हो रहा था। समय व्यतीत होता जा रहा था। किन्तु कानून का पास होना या न होना बराबर था।

इसी कानून के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए डॉ. अंबेडकर ने मार्च 1927 को एक बड़ी सभा का आयोजन किया जिसका प्रचार महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े जोरों से किया गया। 19 मार्च 1927 को महाड में लोगों का जमाव शुरू हुआ बहुत ही दूर दराज से भूख और प्यास की चिन्ता किये बिना लोग एकत्रित हो रहे थे। उनके चेहरों पर भले ही धूल जमी थी किन्तु उनके दिलों में मानव के बुनियादी अधिकार प्राप्त करने के लिए पवित्र उत्साह भरा हुआ था।

इस सभा में डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषण में दलितों को अपने भीतर स्वाभिमान जगाने वाली उत्साहवर्धक बातें कही और कई प्रस्ताव भी पास किए गए और सरकार से अपील की गई कि वे दलितों को उनके जायज अधिकार दें और लोगों से दिलवाएं। साथ ही उन्होंने सवर्ण जाति वालों से भी निवेदन किया कि वे भी दलितों के साथ अमानविय व्यवहार बंद करें और उनका साथ दें।

इस सभा में वातावरण शांतमय था और दूसरे दिन डॉ. अंबेडकर महाड सभा मे उपस्थित सभी दस हजार लोगों को साथ लेकर महाड चवदार तलाब की ओर गए और तालाब के चारों तरफ फैल गए। तब डॉ. अंबेडकर ने सिंह की भाँति उस तालाब का पानी पीया और उसके बाद सभी ने उनका अनुकरण किया। यह दृश्य देख महाड़ के सभी स्वर्णों को गुस्सा काबू के बाहर हो गया और उन्होंने रात को जहां वे सब लोग ठहरे थे उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई दलित लोग घायल जरूर हुये थे किन्तु उन्होंने इस चवदार तालाब का पानी पीने का अधिकार जता दिया जिसे वंचित रखा गया था। डॉ. अंबेडकर ने इस घटना की खूब जमकर नींदा की और सरकार को इसकी जांच करने की विनती की गई।

इस आंदोलन के पश्चात डॉ. अंबेडकर ने पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया और सरकार पर इस बात का जोर डाला गया कि वह अपने पास किए कानून का आदर करते हुए इसे क्रियान्वित करें।

इस घटना से यह भली भांति सिद्ध हो गया कि दलितों को स्वयं ही अपनी कुर्बानी और संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। यह आंदोलन मानों दलितों की क्रांति की शुरूआत थी। इसके साथ भारत के सामाजिक जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। दलित समाज ने पहली बार संघर्ष में हिस्सा लिया। इससे दलितों को प्रेरणा मिली और डॉ. अंबेडकर एक दलित नेता बनकर सारे देश में पहचाने जाने लगे।

मनुस्मृती दहन

महाड सत्याग्रह के कुछ महीने बाद महाड के पास ही एक सभा का आयोजन किया गया इस सभा में डॉ. अंबेडकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अन्यायकारियों की जमीर या आत्मचेतना को अपील

करने से छिने अधिकार कभी प्राप्त नहीं हो सकते। अगर इन अत्याचारियों से अपने अधिकार लेना चाहते हो तो संघर्ष करने के लिए कमर कस लो। बलि हमेशा भेड़ बकरियों की ही दी जाती है शेर और चीते बलि के बकरे नहीं बनते।''

मनुस्मृति भारत में वर्ण व्यवस्था करने वाला ग्रन्थ है। मनुस्मृति को आदि धर्माचार्य मनु की रचना बताया गया है। इसी धर्मग्रन्थ ने हिन्दुओं को चार वर्णो में बांटा है। जिसे चतुवर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। इसी ग्रन्थ को सर्व साक्षी मानकर शूद्रों और अतिशुद्रों में भेद किया गया था।

दिसम्बर 1927 को आयोजित सभा में कुछ दलित साधुओं के हाथों से विधिवत मनुस्मृति को आग के हवाले कर मनुस्मृतिका दहन किया गया। मनुस्मृति दहन की इस घटना में डॉ. अंबेडकर ने सारे संसार को बता दिया कि इस देश में अब विषमता का कानून नहीं चलेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश के तथाकथित उच्चवर्ग में बहुत भयानक उत्तेजना फैल गई।

डॉ. अंबेडकर के संघर्षमयी आंदोलन का मिशन आगे बढ़ता रहा। उन्होंने स्त्रियों को भी इस आंदोलन में सक्रिय किया और उन्हें हिन्दूओं की कुरीति रिवाजों को त्याग देने और अच्छा जीवन स्तर सुधारने की सलाह दी। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे भारत में स्त्रियों भी के नेता कहलाने लगे। इसी प्रकार डॉ. अंबेडकर ने अनेक आंदोलन किए और गांव–गांव, कस्बों में जाकर अपने प्रभावशाली भाषण देकर दलित एवं बहुजनों को जगाने का प्रयास करते रहे। इसी समय बंबई विधान मंडल में महार वतन कानून में सुधार लाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया जिसका मुख्य कारण था कि महार वतनदारों को गरीबी और गुलामी से छुटकारा मिले। इसी बीच अगस्त 1928 में वे साइमन कमिशन की समिति में नियुक्त किए गए। इसी समिति के द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय हित का काम किया।

कालाराम मंदिर प्रवेश

बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अगला आंदोलन कालाराम मंदिर प्रवेश के नाम से जाना जाता हैं। भारत के इतिहास में चवदार तालाब का पानी जब दलितों का नसीब नहीं हुआ तो क्या भगवान उनको कैसे नसीब हो सकते थे। भगवान तो पत्थर के होते हैं। उन्हें क्या मालुम कौन छोटा है और कौन बड़ा, लेकिन सवर्ण जाति ने भगवान को भी अपनी जागीर समझकर उन्हें भी दलित के परे रखा। डॉ. अंबेडकर के दिल में अन्य अधिकारों के साथ सत्य अस्पृश्यता निवारण भी एक प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने उसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए कालाराम मंदिर प्रवेश की घोषणा की और 2 मार्च 1930 को महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए व्यापक सत्याग्रह शुरू किया। मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह की सूचना पाकर सनातन धर्मियों ने जालसाजी कर उन्हें मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया और सत्याग्रहियों को लाठियों और पत्थरों से मारा गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गये। डॉ. अंबेडकर भी इस पिटाई से अछूते नहीं रहे उन्हें पत्थरों के घाव सहन करने पड़े।

मंदिर प्रवेश के आंदोलन के कारण अनेक गांव–देहातों में दलितों को बहिष्कार, अत्याचार आदि का सामना करना पडा लेकिन डॉ. अंबेडकर का यह सत्याग्रह सन 1931 तक जारी रहा।

गोलमेज परिषदों में सहभागिता

भारत के स्वाधीनता की तैयारी के सिलसिले में लन्दन

में पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। वायसरॉय ने उन्हें उनकी काबीलियत देखकर दलितों का प्रतिनिधि होने की हैसियत से उनकी नियुक्ति की। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर था जब दलित को भी अपने अधिकारों पर कुछ कहने का अवसर मिला। इस परिषद में डॉ. अंबेडकर ने अपना जोशीला भाषण देकर दलितों की वकालत की और उनको समान नागरिकता, समान मानवीय अधिकार, जातिभेद निर्मूलन व सुरक्षा, विधानसभा और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यों के हित रक्षा के लिए पक्षपात रहित एक विभाग की स्थापना, गवर्नर जनरल के मंत्रीमंडल में प्रतिनिधित्व आदि प्रमुख मांगो को प्रस्तुत किया। इस परिषद में पहली बार दलितों की समुचित मांगे दुनिया के सामने प्रकट की गई। उनके विचारों को सुनकर गोलमेज परिषद के तमाम सदस्य मंत्रमुग्ध हो गये उनका भाषण इतना प्रभाावशाली विदवत्वादी था कि हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं चुका था। लगभग डॉ. अंबेडकर ने वह सम्मेलन जीत लीया था।

उसी प्रकार दूसरी गोलमेज सम्मेलन के पूर्व जंगल सत्याग्रहियों की सरकार के विरोध में खड़े हुए। अपनी दलील में उन्होंने कहा कि आम लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकार की स्थिरता से भी ज्यादा कीमती है। इस बात पर ज्यादा गौर किया जाना चाहिए। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में डॉ. अंबेडकर ने प्रौढ़ मतदान के अधिकार के लिए संघर्ष किया। जिसका उद्देश्य था की जो सरकार बने पर बहुसंख्यों की सरकार हो और उसमें सभी के हित हो। रियासतों की स्वतंत्रता के संबंध में डॉ. अंबेडकर की भूमिका का जनता के अधिकारों की सुरक्षा करनेवाली थी। उसी प्रकार डॉ. अंबेडकर ने तीसरी गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिनिधित्व किया इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा पूना पैक्ट था जिसके लिए गांधीजी ने अनशन द्वारा डॉ. अंबेडकर को राजी किया था। डॉ. अंबेडकर राजनीतिक अधिकार चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि सामाजिक आंदोलन से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला हैं। यदि राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गये तो वे सरकार में जाकर अपने अधिकार हासिल कर सकेंगे।

संविधान

भारत की आजादी के पूर्व तक डॉ. अंबेडकर ने अनेको आंदोलनों में भाग लिया ये आंदोलन उन दलित पीड़ित बहुजनों के अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन थे। उन्होंने विद्यार्थियों को भी संदेश दिया और अपने नवजवानों को भी सामाजिक कार्य में सक्रिय रह कर अन्याय के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। वे आजाद भारत के पहले श्रममंत्री बने। कुछ ही दिनों बाद भारत आजाद हुआ तब तमाम नेताओं के मन में प्रश्न हुआ कि आजाद भारत का संविधान कौन व कैसे लिखा जाए। संविधान लिखने के लिए अलग अलग समितियाँ बनाई गई। डॉ. अंबेडकर ड्राफ्टींग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और अन्य पांच सदस्य बनाए गए। बाकी सभी पांच सदस्य किसी न किसी कारण से समीति से दूर रहे।

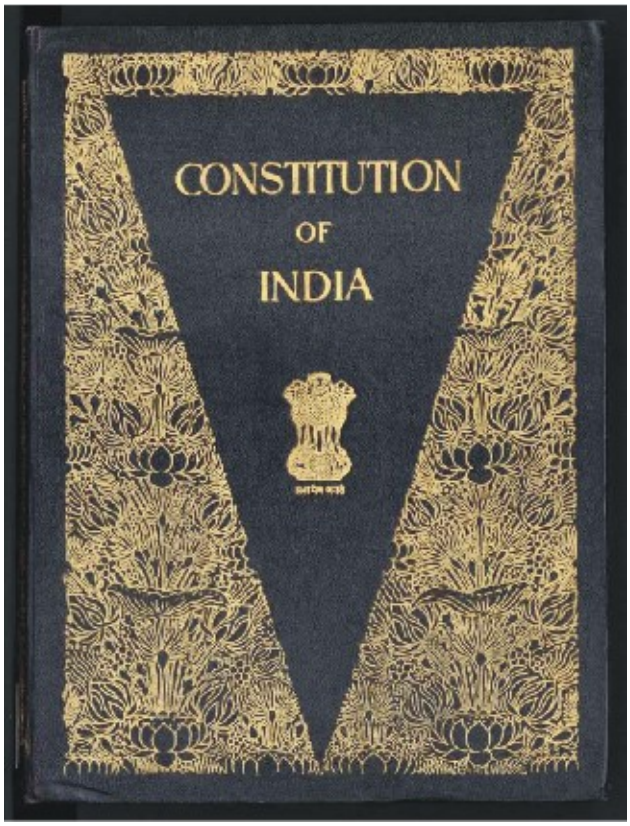

इसका परिणाम यह हुआ कि संविधान लिखने का सारा बोझ डॉ. अंबेडकर पर आ गया। अपने स्वास्थ की चिन्ता किये बिना उन्होंने रात दिन मेहनत कर अपना पूरा समय संविधान लिखने में झोंक दिया।

अंत में 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने संविधान स्वीकार किया। इस संविधान में डॉ. अंबेडकर ने अपने दलित बहुजनों को अधिकार प्रदान करने के साथ–साथ उन समस्त भारतीय मानव जाति के अधिकारों के द्वार खोल दिए। उन्होंने संविधान में किसी भी जाति धर्म या मजहब को स्थान नही दिया अपितु एक निष्पक्ष संविधान का निर्माण किया जिसे दुनिया के सभी प्रगति प्राप्त राष्ट्रों ने खूब सराहा।

यह कितनी अद्भूत बात है कि भारत का संविधान एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा जिसे और जिसके पुरखों और जाति को पिछले हजारों बरसों से अछूत समझा जाता था। इस संविधान का निर्माता वही डॉ. अंबेडकर है जिसे बडोदा राज्य में उच्च पद मिलने पर भी कोई सवर्ण जाति चपरासी भी उस दफ्तर के टेबल को छूने को भी तैयार नहीं था। क्योंकि उसे भय था कि अगर उसने इस अछूत अफसर के आगे की फाइल उठा ली तो वह भ्रष्ट हो जाएगा। यह वही अंबेडकर था, जिसे सारे बड़ोदा राज्य में रहने के लिए एक कमरा तक नहीं मिल सका था। आज उसी दलित अंबेडकर ने स्वाधीन भारत के संविधान का निर्माण करके सिद्ध कर दिया कि जिन्हें लोग दलित व घोर समझते थ वे अवसर प्राप्त होने पर भारत के संविधान का निर्माण जैसा बड़ा काम भी कर सकते है।

हिन्दू कोड बिल

डॉ. अंबेडकर मानवतावादी व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि हिंदुओं का कोई एक समान पर्सनल लॉ (कानून) होना चाहिए ताकि हिन्दू समाज की बुराईयाँ को भी दूर किया जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा बिल बनाने की जरूरत महसूस की। वास्तव में हिन्दू कोड बनाने से न तो दलितों को और नही शूद्र कहे जाने वाली अन्य जातियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ होने वाला था किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से जो बहु पत्निवाद का रिवाज था, इस कोड के बन जाने पर उनका भी थोड़ा सा सामाजिक सुधार हो सकता था। शुद्रों और दलित में छोटी छोटी बातों पर पति विवाहित पत्नियों को पंचायत राज के मुताबिक त्याग देते थे। हिन्दू कोड बन जाने से इन पिछड़े वर्गों में सस्ती और मनचाही पंचायती तलाक का रिवाज भी समाप्त हो सकता था।

हिन्दुओं का पर्सनल लॉ (कानून) मुसलमान, ईसाई और पारसियों की भांति एक समान रूप से नहीं था। कानून की दृष्टि में हिन्दू बिल्कुल अलग थलग बिखरे हुए थे। संपूर्ण भारत में हिन्दुओं का कोई भी विवाह, उत्तराधिकारी, दत्तक, निर्भरता या गुजारा आदि का कोई एक समान कानून नहीं था। विधवा को मृत पति की सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। विधवा विवाह संपूर्ण जातियों में प्रचलित नहीं था। और कई कुरीतिया प्रचलित थी जो डॉ. अंबेडकर उन्हें दूर करवाना चाहते थे।

किन्तु भारतीय सवर्ण जाति के लिए एक दलित व्यक्ति कानून बनाए यह सुधार ही नहीं एक क्रान्तिकारी बात थी और यही कड़वा सच अन्य लोगों को पसंद नहीं आया, वे अपमानित महसूस होने लगे और उन्होंने सारे भारत में डॉ. अंबेडकर के विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया जिससे चारों ओर विरोध प्रदर्शन होने लगे। वस्तुतः सबसे बड़ा यह विरोध था, कि ''हिन्दू पर्सनल लॉ'' को पारित कराने वाला एक जन्मजात दलित हो और उस कानून का प्रभाव सवर्ण जाति पर पड़े।

हिन्दू कोड बिल पास होने पर हिन्दुओं के विवाह तथा दत्तक ग्रहण में जाति–पांति भेद मिट जाता था और इस कानून से उत्तराधिकारी में स्त्री पुरूष दोनों को बराबर हिस्सेदारी या अंशभागी बन जाते थे। साथ ही महिलाओं को और अधिकार प्राप्त हो जाते थे। किन्तु सारे भारत में हंगामा खड़ा होने और राजनीतिक तथा धार्मिक विरोध के चलते यह बिल पास नहीं हो सका। इसका प्रतिरोध में डॉ. अंबेडकर ने मंत्री मंडल से त्याग पत्र दे दिया था। वे हिन्दू कोड बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे।

धर्म परिवर्तन

डॉ. अंबेडकर ने येवला परिषद सन् 13 अक्तुबर 1935 में जो आम उद्घोषणा की थी कि ''मै हिन्दू बनकर पैदा हुआ हूँ वह मेरे अपने बस की बात नहीं थी किन्तु मैं हिन्दू रूपी कीचड़ में रह कर नहीं मरूंगा यह मेरे अपने बस की बात है।'' डॉ. बाबासाहब अंबेडकर की महाभारत में वर्णित यह भीष्म प्रतिज्ञा के समान एक अचल अटल और सुदृढ़ निश्चयात्मक प्रतिज्ञा थी। यह न तो किसी राजनीतिक नेता की धमकी थी और नही किसी पाखंडी अथवा ब्लेकमेल करनेवाली राजनीति की धूर्तता भरी बड़बडाहट या प्रलाप मात्र थी। यह उनके अंतर्आत्मा की बूलंद आवाज थी जो डॉ. अंबेडकर ने अपने चारों और समूचे भारत में सवर्ण जाति से उत्पीड़ित दलित जनता में देखी थी। इन करोड़ो निरीह मानवों के कल्याण के लिए वे सामाजिक दुखों से पीड़ितों को कल्याण का धर्म देना चाहते थे। पूरे इक्कीस बरस तक अनुसंधान और गंभीर चिन्तन के पश्चात् उन्होने इन करोड़ो दलितों के लिए एक ऐसे सन्मार्ग को खोज निकाला जिसे अपनाकर सदियों से हीन भावना मानसिक दासता और हर प्रकार के निरादर और अपमान के शिकार दलितों का कल्याण हो सका।

निर्वाण

6 दिसम्बर 1956 की वह सुबह समस्त दलितों और पीड़ित जनता के लिए अशुभ समाचार लेकर आयी जब यह खबर फैल गई कि डॉ. बाबासाहब भीमराव का देहान्त हो गया। इस खबर ने सारे भारत वर्ष में सन्नाटा फैला दिया। लोगों के दिल की धड़कने रूक गई। वह महान योद्धा जिसने अपने संघर्षमय जीवन में अपने आपको दलितों के अधिकारों के लिए अपने जान को निछावर कर दिया। एक महान शिक्षक,

उद्धारक, सच्चे लोकतांत्रिक, महान देशभक्त, महान चिंतक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, सक्रिय नेता, और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता का निधन हो गया था। डॉ. अंबेडकर एक महान मानवतावादी थे जो भारत के गरीब पीड़ित व शोशित समाज के लिए जीवनभर संघर्ष करते रहे। डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं के संपत्ति तथा प्रसूति स्तंभो संबंधी अधिकारों के लिए संघर्ष किया वे दलित पीड़ित वर्ग के बेताज बादशाह रहे। इसलिए डॉ. अंबेडकर को ''बाबासाहेब'' कहकर सम्मानित किया गया है। उस महान नेता और मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा का जीवन पर्व, इस प्रकार समाप्त हुआ।

शशांक शेंडे
मुख्य प्रबंधक, मुम्बई

डॉ. बी.आर. अंबेडकर: एक युग दृष्टा

डॉ बी. आर. अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान सपूतों में से एक थे। उन्होंने भारत के सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र में 1920 दशक के आंरभ में प्रवेश किया तथा भारतीय समाज के सबसे नीचे के तबके जिसे अछूत माना जाता था के उत्थान के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक प्रयासों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाबासाहेब एक महान विद्वान थे जिन्होंने एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, विधि शास्त्री, शिक्षाविद, पत्रकार, सांसद तथा इन सबसे भी बढ़कर एक समाजशास्त्री तथा मानवाधिकार समर्थक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान किया। बाबासाहेब ने भारत के अछूत लोगों को अपने सामाजिक समानता के ध्येय को सामाजिक साधनों के बल पर प्राप्त करने के लिए उन्हें संगठित, एकजुट तथा प्रेरित किया।

अंबेडकर का जन्म वर्ष 1891 में एक दलित जाति में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश सेना में अध्यापक थे। अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री (1917), लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स से डी. एससी. तथा ग्रेज इन लंदन से बॉर–एट–लॉ की शिक्षा प्राप्त की। एक दलित जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए ये उपलब्धियां महान थी।

डॉ. अंबेडकर अपनी बेसिक ट्रेनिंग के आधार पर एक अर्थशास्त्री थे। उनके जीवन को दो अलग–अलग चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण वर्ष 1921 तक का है जिसमें उन्होंने एक पेशेवर अर्थशास्त्री के रूप में अच्छी पुस्तकें लिखीं। दूसरा चरण एक राजनेता के रूप में रहा जो उनके निधन तक जारी रहा। अपने इस दूसरे चरण में उन्होंने अछूत लोगों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया।

डॉ. अंबेडकर ने अर्थशास्त्र पर तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की।

(1) एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आफ दि ईस्टि इंडिया कंपनी,

(2) दि इवोल्यूशन आफ प्रोविंसिएल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया तथा

(3) दि प्रॉबल्म आफ दि रूपीः इट्स आरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन

पहली दो पुस्तकें पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में योगदान से संबंधित हैं: पहली पुस्तक में वर्ष 1792 से वर्ष 1858 तक की अवधि का इस्ट इंडिया कंपनी के वित्ति के मूल्यांकन से संबंधित है, दूसरी पुस्तक में वर्ष 1833 से वर्ष 1921 की अवधि के केंद्र–राज्य के ब्रिटिश भारत में वित्तीय संबंधों के विकास के विश्लेषण से संबंधित है। तीसरी पुस्तक, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी महान रचना है, में उनके मौद्रिक अर्थशास्त्र में योगदान को व्यक्त करती है। डॉ अंबेडकर ने इस पुस्तक में भारतीय मुद्रा के विनिमय के रूप में विकसित होने का विवेचन किया गया है। इस विवेचन में वर्ष 1800 से 1893 तक की अवधि को शामिल किया गया है जिसमें 1920 के दशक की आरंभिक अवधि में भारत में उपयुक्त करेंसी पद्धति के चयन की समस्या का विवेचन किया गया है। विदेश से भारत में वापिस लौटने के बाद, डॉ अंबेडकर ने अर्थशास्त्र पर कोई भी पुस्तक नहीं लिखी परंतु उस अवधि के दौरान उन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में कई महत्वपूर्ण योगदान किए।

बंबई विधान सभा (वर्ष 1926 से) के सदस्य के रूप में अंबेडकर ने अपने जन आन्दोलन के माध्यम से गांव

के गरीब लोगों की व्यथा को आवाज दी। उन्होंने उस समय प्रचलित भूमि पट्टा प्रणाली, जिसे खोटी कहा जाता था, से गांव के गरीबों को मुक्ति दिलाई। उन्होंने राज्य की विधान सभा में एक बिल पेश किया जिसमें महाजनों द्वारा गरीब लोगों के शोषण पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी गई थी। औद्योगिक फ्रंट पर डॉ. अंबेड़कर ने वर्ष 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। ट्रेड यूनियंस कामगारों के अधिकारों के लिए तो लड़ते थे परंतु दलितों के अधिकारों के मामले में उनका रवैया उदासीन था। अंबेडकर द्वारा स्थापित इस नई राजनीतिक पार्टी ने उनके हक में आवाज उठाई। इसके बाद वर्ष 1942 से 1946 तक वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मेंबर के रूप में डॉ. अंबेडकर ने अनेक श्रम सुधारों के लिए काम किया जिनमें रोजगार कार्यालयों की स्थापना सहित आजाद भारत में औद्योगिक संबंधों की नींव रखना आदि शामिल हैं। उनके मंत्रालय में सिंचाई, ऊर्जा तथा अन्य सार्वजनिक कार्य शामिल थे। सिंचाई नीति बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें दामोदर वैली प्रोजेक्ट शामिल है।

अर्थशास्त्र के साथ–साथ डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक बुराईओं के उन्मूलन जैसे जाति प्रथा तथा छूआ छूत को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। जाति प्रथा पर डॉ. अंबेडकर का आक्रमण करने का उद्देश्य न केवल ऊंची जातियों के वर्चस्व को ही चुनौती देना था बल्कि आर्थिक विकास व उन्नति को भी व्यापक रूप देना था। उनका मत था कि जाति प्रथा ने श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने को ही न केवल कम किया है बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी बाधा थी।

डॉ. अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष वर्ष 1947 में ''राज्य एवं अल्पसंख्यक'' शीर्षक से एक ज्ञापन प्रस्तुति किया जिसमें उन्होंने भारत के आर्थिक विकास की रणनीति को रेखांकित किया था। इस रणनीति में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया था। इस बात पर भी बल दिया गया था कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें धन–दौलत का वितरण समानता के आधार पर हो।

देश की आजादी के बाद डॉ. अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय भी (ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के रूप में) उनमें अर्थशास्त्री के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने प्रजातंत्र की ''मानव संबंधों का गवर्निंग सिद्धांत'' के रूप में वकालत की परंतु साथ ही समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे का भी पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल कर आर्थिक प्रजातंत्र को अभिव्यक्ति दी।

डॉ. अंबेड़कर ने कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल को पास कराने में पुरजोर लड़ाई लड़ी। इस बिल में विवाह तथा उत्तराधिकारी के रूप में महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। परंतु जब संसद में बिल पास न हो सका तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

अंबेड़कर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके आर्थिक दर्शन को उन्हीं के शब्दों में अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है – ''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय''। वे जीवनभर दलित, वंचितों, पिछड़ों तथा गरीबों के लिए संघर्षरत रहें। 24 मई 1956 को बंबई में बुद्ध जयंती के अवसर पर उन्होंने यह घोषणा की कि वह अक्टूबर में बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया।

रामफल यादव
मुख्य प्रबंधक

बहुमुखी प्रतिभा के धनी : भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर

भारत को संविधान देने वाले महान व्यक्तित्व 'भारत रत्न' बाबा साहेब भीमराम अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम श्री रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था। भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम श्री रामजी सकपाल था। बाबा साहेब के पूर्वज लम्बे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मउ छावनी में सेवारत थे। भीमराव के पिता शिक्षा के प्रति काफी सजग थे और अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे।

1894 में भीमराव अम्बेडर के पिता सेवानिवृत हो गए और उसके दो साल बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया। अपने 14 भाई–बहनों में से सिर्फ अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और तत्पश्चात बड़े स्कूलों से भी शिक्षा पाने में सफल रहे। भीमराव अम्बेडर ने अपने नाम रामजी सकपाल से सकपाल हटाकर अपने गांव अम्बावाड़े के नाम पर ही अपना नाम रामजी अम्बेडकर रख लिया।

बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन से ही बाबा साहेब ने सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन किया। इन विषम परिस्थितियों और उनके पिता की शिक्षा के प्रति गहन रूचि के कारण बाबा साहेब में शिक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प का बीजारोपण कर दिया था और इसी बीजारोपण से उन्होंने राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर के सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। वे स्वयं अपने कार्यों द्वारा अपनी शिक्षा को नए आयमों तक ले गए और इसी कारण वे एक विचारक के रूप में सदियों तक हम सब के समक्ष जीवंत रूप में सदैव उपस्थित रहेंगे।'

बाबा साहेब का मानना था कि – जीवन लम्बा होने की बजाय महान होना चाहिए और उनका यह भी मानना था कि – किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से आंकी जानी चाहिए बाबा साहेब का यह भी मानना था कि – प्रत्येक नागरिक अपने आप को सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय समझे ताकि राष्ट्रीय एकता कायम रहे। जिस समय भारतीय समाज छूआछूत के दौर में था और समाज का एक वर्ग इस अभिशाप से जूझ रहा था तो उस दौरान बाबा साहेब ने यह उद्घोष किया था कि अपनी दासता स्वयं मिटानी है। शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष इसके लिए मूलमंत्र हैं।

बाबा साहेब के इन वक्तव्यों को यहां प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि बाबा साहेब ने अपने हर कथन को मूर्त रूप दिया तथा संविधान द्वारा एक नये भारत के निर्माण का महान कार्य आरंभ किया। बाबा साहेब के इन उद्गारों से उनके राष्ट्र, समाज, महिलाओं, शिक्षा व अस्पृश्यता के प्रति दृष्टिकोण स्वयतः ही स्पष्ट हो जाता है। बाबा साहेब ने संविधान के निर्माण में अपनी बहुमुखी प्रतिभा एवं शिक्षा का परिचय सम्पूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। बाबा साहेब के जीवन का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण था और उन्होंने इस आंदोलन का शुभारंभ 20 जुलाई, 1924 को 'बहिष्कृत

हितकारिणी सभा' की स्थापना से आरंभ किया था और मानवाधिकारों की मांग भी की थी। बाबा साहेब के कार्य इतने विशाल एवं व्यापक रूप लिए हुए है कि उसे इस छोटे से उद्‌गार में बता पाना असंभव–सा प्रतीत हो रहा है फिर भी हमारा प्रयास है कि बाबा साहेब के महत्वपूर्ण कार्यों की सूचना पाठकों तक पहुंचे, जोकि इस प्रकार हैः–

- 1920 में 'मूक नायक' अखबार की शुरूआत की जिसमें अस्पृश्यों के सामाजिक और राजकीय संघर्ष की शुरूआत की।
- 1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। इसका उद्देश्य दलित समाज में जागरूकता उत्पन्न करना था।
- 1927 में महाड़ में पानी के लिए सत्याग्रह किया और यहां अस्पृश्यों के लिए यहां की झील से पीने के पानी पर लगी पाबंदी समाप्त् हुई।
- 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अस्पृश्यों को प्रवेश देने के लिए सत्याग्रह किया।
- 1930 से 1932 इस समय में इंग्लैंड में हुए गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि बन कर उपस्थित रहें।
- 25 दिसम्बर, 1932 को महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर के बीच 'पूना पैक्ट' हुआ।
- 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर में बाबा साहेब ने अपने समर्थकों के साथ एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण किया।

ये तो बाबा साहेब के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की एक छोटी–सी बानगी भर है। बाबा साहेब महिला शिक्षा और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध थे उनका विचार था कि 'किसी समाज या समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से आंकी जानी चाहिए'। बाबा साहेब की यह सोच उनकी प्रगतिशीलता एवं दूरदर्शिता की परिचायक है। जब अधिकांश देशों और भारत में भी महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारों को लेकर लोग उदासीन थे तब बाबा साहेब की सोच में महिलाओं का शिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण था यह

उनके इस वक्तव्य से ही समझा जा सकता है। बाबा साहेब का व्यक्तित्व कैसा था यह हम सबको मालूम ही है कि उन्होंने आजीवन शिक्षा, दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया और वे अपने इस संघर्ष में सफल भी रहे। भारत के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष का कर्तव्य सफलतापूर्वक वहन करते हुए उन्होंने अपने इस दर्शन को संविधान द्वारा प्रदत्ता मौलिक अधिकारों में मूर्त रूप दिया। हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को लिंग, जाति और रंगभेद से परे समान अधिकार एवं समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसका श्रेय बाबा साहेब को ही है।

बाबा साहेब के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर में घटित हुई जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अस्वस्थता और लंबी बीमारी के कारण इस महान व्यक्तित्व ने 6 दिसम्बर 1956 को दिल्ली स्थित अलीपुर के अपने निवास स्थान में अंतिम सांस ली। बाबा साहेब को 1990 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर उनकी याद में उनके दिल्ली स्थित निवास पर एक स्मारक बनाने की घोषणा की है।

श्रीबल्लभ मठपाल
अपर महाप्रबंधक

संदर्भः
* भारत दर्शन
* डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व – डॉ. बी. आर. जाटव

सामाजिक समता और राष्ट्र निर्माण के पथप्रदर्शक डॉ. भीम राव अंबेडकर

भारतीय सामाजिक व्यवस्था वर्ण आधारित है, यहाँ सदियों से जाति प्रथा विद्यमान है। उसे बरक़रार रखने के लिए प्रत्येक काल–खंड में किसी न किसी धर्म ग्रंथ का सृजन होते रहा है ताकि ऊँच–नीच में बंटा भारतीय समाज जातियों की बेड़ियों को तोड़ने न पाए। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए समय–समय पर समाज उद्धारक पैदा हुए हैं और उन बेड़ियों को तोड़कर समाज में समानता लाने के प्रयास किए हैं। समाज सुधारकों के नामों की सूची लंबी है लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख सुधारकों के योगदान को केंद्र में रखकर सामाजिक ताने–बाने को समझ सकते हैं। मध्यकाल में संत कवि रविदास ने धर्म के नाम पर पोंगापंथ को चुनौती दी थी, उन्होंने कहा "मन चंगा तो कठौती में गंगा" अर्थात मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो ढोंग को छोड़ना होगा, क्योंकि सच्चे कर्मों से ही सिद्धि मिलती है। आधुनिक समय में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का नाम लिया जा सकता है, उनका जन्म भारतीय समाज के उस संक्रमण काल में हुआ जब हम अंग्रेजों से आजादी लेने के लिए अग्रसारित हो चुके थे। हमारे सामने कई सवाल खड़े थे जिसमें छुआ–छूत का सवाल उन सभी सवालों में प्रमुख था। देश के बहुसंख्यक समाज को नागरिक के रूप में पहचान तो थी लेकिन आजाद भारत में उनका जीवन–यापन कैसा होगा यह गंभीर विषय था। दलितों के भूख, आत्म–सम्मान, शिक्षा, रोजगार, हक़, सुरक्षा आदि की चिंता बाबा साहब को सबसे पहले हुई। इसलिए उन्होंने इन कुरीतियों के जड़ पर मनु स्मृति को जलाकर प्रहार किया। उनका मानना था कि जब तक लिखित ग्रंथों को ख़ारिज नहीं किया जाता तब तक उन ग्रंथों को आधार मानकर समाज में ऊँच–नीच का भेद–भाव करने वाले लोग समाज को बाँटना बंद नहीं करेंगे। किसी भी सभ्य समाज में यह कैसे संभव हो सकता है कि जानवर से कमतर मनुष्य को आँका जाए। महाराष्ट्र के चवदार का वह तालाब जिसमें जानवरों को पानी पीने की अनुमति तो थी लेकिन दलितों को नहीं। अमेरिका और लन्दन के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से शिक्षित डॉ. भीमराव अंबेडकर राष्ट्र निर्माण में ऐसे जड़ समाज की मूर्खतापूर्ण कृत्य को रोड़े के रूप में देखते थे इसलिए उन्होंने एक ही साथ दो काम किये, पहला चावदार तालाब में दलितों को पानी पीने के लिए आन्दोलन तथा उसी दिन मनुस्मृति का दहन। उस समय तक सवर्ण जातियों के कुछ बुद्धिजीवी भी इस बात को समझने लगे थे और डॉ. अंबेडकर द्वारा सनातनी व्यवस्था को दी जा रही इस चुनौती में शरीक होने लगे थे। मनु स्मृति दहन में बाबा साहेब के ब्राह्मण मित्र ने भी अपनी महती भूमिका अदा की थी। सामाजिक संक्रमण के साथ–साथ सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया भी समान रूप से चलती रही है। इस देश के शासक वर्ग को जब तक उनकी गलती का एहसास नहीं कराया गया तब तक उनके अन्दर सुधार नहीं आया है। आजादी से पहले का भारत अखंड जरुर था लेकिन कई मायनों में यह एकांगी और सर्वाधिकार वाला भारत था, समाज के बहुसंख्यक तबके को पढने–लिखने का अधिकार नहीं था, वह केवल राजा और पुरोहित के फरमानों को तामिल करने को बाध्य था, चाहे वह सही हो या

गलत। क्योंकि मनु स्मृति चातुर्वर्ण्य सामाजिक व्यवस्था की वकालत करता है। उसके रचयिता यह मानते थे कि जो व्यक्ति जिस जाति, धर्म और संप्रदाय में पैदा हुआ है वह उसी सामाजिक हैसियत के हिसाब से जीवन जीने को अभिशप्त है। मनुस्मृति के माध्यम से समाज में नीची जातियों के साथ–साथ सभी सवर्ण महिलाओं को भी अधिकार विहीन बनाया गया था, तथा उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, वेदों का पाठ करने और उच्च कुल के व्यक्तियों जैसे जीवन जीने पर पाबन्दी थी।

बाबासाहेब स्त्री और दलितों की ज्वलंत समस्याओं के लिए धर्म को जिम्मेदार मानते थे। उन्होने राजनीति और संविधान के जरिये भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच व्याप्त असमानता को दूर करने का प्रयास किया है। समता को केंद्र में रखते हुए उन्होंने जाति–धर्म, लिंग निरपेक्ष संविधान की परिकल्पना की। हिन्दू कोड बिल के जरिये उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। संविधान सम्मत सामाजिक न्याय के सूत्र और हिन्दू कोड बिल में ही महिला सशक्तीकरण की विषद व्याख्या विद्यमान है । संविधान शिल्पी बाबासाहेब के प्रयासों का प्रतिफल है कि भारतीय समाज में महिलाओं को सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, आजाद भारत में बाबासाहेब सत्ता के चरित्रों से भली–भांति परिचित थे उनका मानना था कि आने वाले समय में सामंतवादी लोग सरकार में काबिज होंगे और वंचितों के अधिकारों के प्रति वे असहिष्णु होते जायेंगे इसलिए

उन्होने संविधान में विभिन्न तरह के सामाजिक और आत्म सम्मान से जुड़े प्रावधानों को समाहित किया। गुलाम भारत में कोल्हापुर राज के राजा क्षत्रपति साहू जी महाराज द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के लिए विशेष अवसर से जुड़े विधानों को आजाद भारत के संविधान में स्थान दिलाने का कार्य किया। कालांतर में महिलाओं के लिए बनाये जाने वाले लगभग सभी विधानों के केंद्र में बाबासाहेब जीवंता के साथ मौजूद रहते हैं। कारण यह है कि उनके द्वारा महिलाओं के लिए सुझाया गया मुक्ति का रास्ता सर्वोपरि है, जिसमें न्याय के साथ–साथ आत्म सम्मान की बात भी निहित है।

19 वीं सदी में जितने भी महापुरुष हुए उनमें से ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज ने अंबेडकर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। दोनों में एक खास चीज़ थी, वह यह कि फुले महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी पत्नी के साथ जीवन पर्यंत लगे रहे और साहू जी समाज में सदियों से चली आ रही गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए आरक्षण का प्रावधान कर उसको ज़मीन पर लाने का कार्य किया। कबीर से भी अंबेडकर खासा प्रभावित थे। इसके पीछे यह कारण था कि संत कबीर धर्म के ढकोसलों पर प्रहार किये थे जो अंबेडकर के लिए प्रेरणा का श्रोत बना। सनातन धर्म में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने में मदद मिली और अंततः हिन्दू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। वे चाहते तो मुस्लिम धर्म के अनुयायी भी हो सकते थे, लेकिन कबीर की वाणियों से बाबासाहेब पारखी बने और हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों की व्याधियों को उजागर किया। उनके सामाजिक अवदान को बाद के दिनों में सामाजिक विचारकों ने हिन्दू धर्म की तरह मुस्लिम धर्म में व्याप्त और प्रारंभ से चली आ रही जाति प्रथा को उजागर किया और साम्प्रदायिकता के बीज का समूल नाश करने के लिए अग्रसर हुए ।

स्त्री शिक्षा को लेकर बाबासाहेब हमेशा चिंतित रहते थे। 1913 में पिता के मित्र के लिए लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा है "लड़कों के साथ–साथ

लड़कियों की शिक्षा पर भी ज़ोर देना आवश्यक है।" देश–विदेश भ्रमण करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लड़का शिक्षित होगा तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होगा, जब लड़की शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। ऊँच शिक्षा ग्रहण करने के दौरान बाबासाहेब ने "भारत में जातियां एवं उनकी व्यवस्था, उत्पति एवं विकास" नामक शोध आलेख प्रस्तुत किया । उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि सती प्रथा के तहत हिन्दू महिलाओं के साथ क्रूरता पूर्वक व्यव्हार किया जाता है। जबरन जीने का अधिकार छीन लिया जाता है । सगोत्र विवाह के लिए दबाव बनाया जाता है। वही इस्लाम धर्म आधारित मुस्लिम समुदाय में पर्दा प्रथा के जरिये महिलाओं के मानसिक और नैतिक जरूरतों का दमन किया जाता है । शोधार्थी के रूप में बाबासाहेब ने हिन्दू व इस्लाम धर्म के साथ–साथ अन्य प्रमुख धर्मों का भी गहन अध्ययन किया था। शायद यही वजह है कि वह धर्म व जाति की कैद से स्त्रियों की मुक्ति के हिमायती बने रहे।

विभिन्न विदेशी शासकों की नज़रों से देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति के अधिकारों के बारे में कुछ और तथ्य उजागर होते हैं। जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मुगल शासकों को परास्त कर अपना साम्राज्य कायम किया । अंग्रेजों के शासन काल में समाज सुधार का कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसका परिणाम यह निकला कि 1857 के गदर में रानी लक्ष्मीबाई , झलकारी बाई , ऊदा देवी , रानी अवंती बाई जैसी वीरांगनाएं सामने आई और अपने शौर्य का परिचय देते हुए अंग्रेजों को नाकों चने चबवाये, इतना ही नहीं स्वतंत्रता आंदोलन में जहां पुरुषों को शिकस्त मिलने लगी वहाँ वीरांगनाओं ने अपना कंधा देश की आज़ादी के लिए लगा कर मोर्चा सँभाला। ऐसे और भी कई जीवंत उदाहरण समाज के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है जिसके माध्यम से आज की स्त्रीवादी लेखिकाएं नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी शौर्य गाथाएँ लिख रही हैं। अंग्रेजों के ऊपर महिलाओं की बहादुरी का असर इतना हुआ कि महिला हितों की रक्षा के

लिए कानून लाया गया। 1860 में अंग्रेजों ने भारत में कानून व्यवस्था को सुचारू ढ़ंग से चलाने के लिए आई0पी0सी0 की धाराओं का निर्माण किया । जिसमें महिलाओं का शील भंग एवं बलात्कार के खिलाफ कारवाई करने हेतु धारा 354 और 376 लायी गई। दरअसल इसके पहले बलात्कारियों को धार्मिक कानून के आधार पर जाति–गोत्र , कुल–खानदान देखकर सजा सुनाने की प्रथा थी। जो शोषणकारी मानसिकता को उजागर करती है । यदि कालांतर में डॉ. अंबेडकर का पदार्पण नहीं हुआ होता तो आज भी महिलाओं को मनुष्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने हेतु जद्दोजहद करनी पड़ती। समाज को जागृत करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1920 में बाबासाहेब ने ''मूकनायक'' नामक पत्र का प्रकाशन कोल्हापुर नरेश के सहयोग से प्रारम्भ किया। इस पत्र के माध्यम से दलितों एवं महिलाओं के मुद्दों को उठाया गया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संस्था स्थापित की गई तथा बेणु बाई मटरकर, रंगूबाई शुभरकर और रमाबाई आदि महिलाएं उनके आन्दोलन से जुड़ीं। सन 1927 में सरकार ने उन्हें मुम्बई विधानमंडल का सदस्य नियुक्त किया। मार्च 1927 को उनके चावदार तालाब आंदोलन में काफी संख्या में दलित महिलाओं ने भाग लिया । महिला आंदोलन को नई दिशा देने के लिए महिला मंडल की स्थापना की गई । इस संस्था की अध्यक्ष उनकी पत्नी रमाबाई बनीं । 28 जुलाई 1928 को डा. अंबेडकर ने मुम्बई विधान परिषद में कारखाना तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा वेतन सहित प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव पारित करने की वकालत

की। 1931 में, लंदन में गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत दलितों (स्त्री–पुरूष)को पृथक मतदान देने का अधिकार दिलाने हेतु आवाज बुलंद की। 1932 में पूना पैक्ट के अंतर्गत उन्होंने दलितों (स्त्री–पुरूष) को संसद, विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष किया ।

20 जुलाई 1920 को नागपुर में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए बाबासाहेब ने कहा कि सशक्तिकरण का अर्थ है अपनी क्षमताओं को बनाना और उसे विकसित कर समाज की मुख्यधारा का एक अहम हिस्सा बनाना । स्त्रियों और दलितों की मुक्ति का सवाल उनका पहला एजेंडा था वे मानते थे कि इन दो वर्गों को यदि रेखांकित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह होती जाएगी इसलिए उन्होने समाज के सबसे दमित वर्ग को मुख्यधारा में लाने कि कोशिश की, महिलाओं के हितों की रक्षा और उनकी मजबूती के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में दिये गए अधिकारों से स्पष्ट होता है। लैंगिक समानता को उन्होने संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के माध्यम से सुरक्षित किया था जिसको विस्तार से संविधान की धारा 14 के तहत देखा जा सकता है इसके तहत महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार दिया । बाबासाहेब अपने इन्हीं दलीलों में कहते हैं कि "शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पियेगा वह दहाड़ेगा।" इस प्रकार वे महिलाओं की न केवल शिक्षा–दीक्षा बल्कि उनके लिए योग्यता के अनुसार नौकरी के भी हिमायती थे। जिसका समर्थन उन्होने इसे संविधान में वर्णित अधिकारों में शामिल करके किया है । उस समय की सामाजिक व्यवस्था का एक नायाब उदाहरण इस बात में देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. रबीन्द्रनाथ टैगोर की नातिन सरला देवी घोषाल ने सन 1895 में जब बालिका विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी करने का फैसला किया तो परिजनों ने इसका पुरजोर विरोध किया । सरला देवी का वह निर्णय केवल आर्थिक आत्म निर्भरता से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वह घर रूपी जेल से बाहर आ कर दुनियावी हालातों को देखना व जानना चाहती थी ।

बाबासाहब की प्रसिद्ध उक्ति शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का विस्तार धीरे–धीरे होता है। विस्तार के इसी क्रम में महिलाओं को समाज की बेड़ियों से मुक्त करने के बाद उनको शिक्षित कैसे किया जाए के मुद्दे पर बाबासाहेब चिंतित थे जिसका मार्ग उन्होने संविधान में महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार को शामिल करके प्रशस्त किया। सत्ता में भागीदारी के लिए चलाये जा रहे आंदोलनों में बाबासाहेब ने महिलाओं के लिए मताधिकार के सवाल को उच्च स्तरीय बैठकों में प्रमुखता से उठाया और समिति के सदस्यों को इसके समर्थन में सहमत कर पाने में सफल रहे । उन्होने समिति के समक्ष इस बात को रखा कि यदि महिलाओं को मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार मिल जाए तो समाज गुणात्मक तरीके से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाबासाहेब द्वारा उठाया गया यह कदम उन्हें विश्व नायकों की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है । बाबासाहेब ने सबसे पहले नागरिकता के सवाल पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहा और कहा कि जब तक किसी को वोट डालने और लोकतन्त्र की मजबूती के लिए आयोजित किए जाने वाले उत्सवों में भागीदारी का मौका नहीं मिलता तब तक हम एक सशक्त राष्ट्र और विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं । बाबासाहेब का दृष्टिकोण केवल समतामूलक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकता को समाहित किए हुए दूरदर्शिता को बढ़ावा देने वाला था। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में बाबासाहेब के आने के बाद गुमनामी का जीवन जी रही महिलाओं को पहचान मिलनी शुरू हो गई ।

स्त्री सरोकारों के प्रति बाबासाहेब का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था । 28 जुलाई 1928 को, बंबई विधान परिषद में स्त्रियों के लिए प्रसूति से जुड़े पहलुओं से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया था । उसका जोरदार समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि यह देश के हित में है कि मां को बच्चे के जन्म के दौरान आराम मिले। इस विधेयक का मुख्य

आधार अन्य सुविधाओं के साथ ही महिला श्रमिकों के लिए वेतन समेत छुट्टियों का प्रावधान था । बाबासाहेब ने ब्रिटिश सरकार से इस विधेयक को केवल मुंबई विधान परिषद क्षेत्र तक सीमित न रखने बल्कि पूरे देश भर में लागू किए जाने की अपील की । उस समय भारतीय स्त्रियों के लिए अपने श्रम के एवज में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद बाबासाहेब ने मुंबई विधान परिषद में पी.जे. रोहम द्वारा नवंबर, 1938 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के रूप में एक ऐतिहासिक विधेयक पारित करवाया । भारत के इतिहास में पहली बार इस विधेयक ने स्त्रियों को यह अधिकार दिया कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति उनका अपना निर्णय होगा । साथ ही बाबासाहेब ने तत्कालीन सरकार से ऐसी व्यवस्था करने की अपील की कि हर भारतीय स्त्री को अनचाहे गर्भ से मुक्ति उसकी मर्जी से और आसानी से मिले। महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े जाने वाले आंदोलनो में यह मील का पत्थर साबित हुआ।

आज देश भर में जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इस नीति को भी बाबासाहेब ने ही मूर्त रूप दिया था। निश्चित तौर पर उनका योगदान श्रम कानून के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सराहनीय है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस समय पूंजीपति वर्ग द्वारा चलाए जा रहे कारखानों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, बाबासाहेब के प्रयासों से कंपनी के अंदर ही स्वच्छ जल की व्यवस्था हो पायी थी।

अप्रैल 1947 में डॉ. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार कर संविधान सभा में रखा, जिस पर बहस होनी थी। यह बिल मुख्य रूप से संयुक्त या अविभाजित हिंदू परिवार में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। यह अगर उस वक्त पारित हो गया होता तो स्त्रियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होता। यह सिर्फ स्त्री अधिकारों पर आधारित था और यही इस बिल की खासियत थी । इसमें स्त्रियों को अपनी मर्जी से विवाह और तलाक, पति से अलग रहने पर गुजारा भत्ता, गोद लेने (बच्ची को भी गोद लिए जाने) और बच्चों के संरक्षण का भी अधिकार दिया गया था।

चार साल बाद कानूनमंत्री के रूप में बाबासाहेब ने एक बार फिर हिंदू कोड बिल को संसद में रखा, यह बिल भारी मतों से पराजित हो गया और इस प्रकार बाबासाहेब की महिला हितों के लिए किए जाने वाली कोशिशें विफल हो गईं। हिंदू कोड बिल का पराजित होना अंबेडकर की निगाह में उनकी निजी हार थी। स्त्री अधिकारों के प्रति वे कितने संवेदनशील थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस हार के बाद उन्होंने 27 नवंबर 1951 को कानूनमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तब से आज तक इस बिल को कई टुकड़ों में पारित किया गया, लेकिन एक तरह से देखें तो 2006 में बने घरेलू हिंसा कानून ने उनके सपने को पूरा किया और अंबेडकर की प्रासंगिकता प्रमुख रूप से सामने उभर कर आई।

राष्ट्र निर्माण में बाबासाहेब द्वारा दिये गए अमूल्य योगदानों को रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015–16 को बाबासाहेब की 125 वीं जयंती वर्ष के रूप में पूरे देश में धूम–धाम से मनाने का निर्णय लिया है इससे बाबासाहेब के सपनों का भारत बनाने में निश्चय ही बल मिलेगा ।

राजीव जयदेव
निदेशक (कार्मिक)

संदर्भः
1. अंबेडकर वङ्ग्मय भाग 14
2. डॉ. भीमराव अंबेडकर हिज़ लाइफ एंड वर्क, एनसीईआरटी, दिल्ली
3. अंबेडकर वर्क्स एंड मिशन, मेनस्ट्रीम साप्ताहिक, 12.04.2008
4. नील क्रांति, वेब पत्रिका
5. स्त्रिकाल वेव पत्रिका

अंबेडकर : समस्याओं का अदृश्य प्रबंधन

भारत में अंबेडकरवाद आज एक जीवंत शक्ति है। भीमराव राम जी अंबेडकर (14 अप्रैल 1891 – 6 दिसंबर 1956) जो कि बाबा साहेब के नाम से भी प्रसिद्ध थे, एक भारतीय न्यायशास्त्री, राजनेता, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, इतिहाकार तथा अर्थशास्त्री थे। भारत में बुद्धिज्म के पुनः स्थापक के रूप में उन्होंने भारत में आधुनिक बुद्धिज्म आंदोलन को प्रेरित किया जो कि दलित बुद्धिज्म आंदोलन भी कहलाया। स्वतन्त्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब भारतीय संविधान के प्रमुख रचियता थे। अनेकों सामाजिक तथा आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए अंबेडकर भारत में कॉलेज तक शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले दलित थे। बोम्बे उच्च न्यायालय में वकालत करते समय बाबा साहेब ने दलितों को शिक्षा देकर उनके स्तर को सुधारने का प्रयास किया। इस दिशा में बाबा साहेब का पहला संगठित कदम बहिष्कृत हितकारणी सभा की स्थापना है जिसका उद्देश्य दलित व पिछड़ी जाति के लोगों में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास लाना था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतन्त्रता के बाद नव गठित कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब को देश का पहला कानून मंत्री बनाया।

बाबा साहेब ने जीवन भर बुद्धिज्म का अध्ययन किया तथा वर्ष 1990 तक विधिवत रूप में बौद्ध धर्म अपनाने का मन बना लिया।

सामाजिक न्याय

बाबा साहेब के समय का समाज असमानता तथा असमान सामाजिक न्याय से ग्रस्त समाज था जिसमें लाखों लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। बाबा साहेब में भारतीय समाज को समानता, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय के आधार पर पुनः गठित करने की आवश्यकता अनुभव की। सैंकड़ों साल पुराने रीति रिवाज, परंपराएं रातों रात नहीं बदली जा सकती थी। विभिन्न धर्मों, मतों, भाषाओं तथा संस्कृतियों में बटे हुए भारतीय समाज को एक नए सांचे में ढालना बहुत ही कठिन कार्य था। देश में कई अल्पसंख्यक समुदाय थे परन्तु वे भारतीय संविधान में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति के समुदाय की तुलना में विकास से वंचित नहीं रखे गए थे। अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण तथा उत्पीड़न तब तक नहीं रुक पाएगा जब तक कि देश से जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं हो जाता। समय आ गया था कि अब जाति प्रथा को, जो कि समाज में तनाव तथा समानता को बढ़ाती रही हैं, उखाड़ फैंक दिया जाए तथा न्याय, समानता तथा भाई चारे पर आधारित एक जाति विहीन समाज की स्थापना की जाए। डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के दलित व पिछड़े वर्ग की आवाज थे। यह सच है कि बाबा साहेब ने अपने आप में कोई सामाजिक न्याय के सिद्धांत को परिभाषित नहीं किया, तथापि प्लेटो तथा रावल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रकाश में बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के विचारों को समझा जा सकता है। हालांकि भारत की आर्थिक समस्याएं राजनैतिक प्रकार अधिक थी परंतु वे मुख्यतः सामाजिक समस्याएं ही थी। बाबा साहेब ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अपनी आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाएं जिससे कि निजी उद्यमों के विकास में बाधा न पहुंचे तथा उत्पादकता में वृद्धि हो।

आर्थिक विचारधारा :

डा. भीमराव अंबेडकर ने कृषि में सुधार की समस्या, छोटे जोत व खेत तथा कृषि उत्पाद की समस्या, भारतीय मुद्रा की समस्या, वित्त एवं योजना जैसी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया। बाबा साहेब का वित्तीय अर्थशास्त्र, सामाजिक अर्थशास्त्र तथा कृषि अर्थशास्त्र में काफी योगदान रहा। उन्होंने भारत में प्रांतीय वित्त की रूप रेखा को सही अर्थों में प्रस्तुत किया। बाबा साहेब के आर्थिक विचार आज भी तर्कसंगत हैं। अर्थशास्त्र में किया गया उनका कार्य काफी महत्वपूर्ण है। अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक वित्त एवं कृषि पर उनके विचार भारतीय अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर है। अंबेडकर की प्रतिबद्धता आंतरिक सुदृढता थी। बाबा साहेब का मानना था कि सरकार सार्वजनिक गारंटी के संसाधनों पर न केवल नियम तथा विधि अनुसार खर्च करें अपितु यह भी सुनिश्चि करें कि इससे अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता तथा विवेकशीलता भी बनी रहे। दिनांक 10 अक्तूबर 1927 को मुबंई विधान परिषद में अंबेडकर ने यह तर्क दिया कि कृषि से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान खेतों

का आकार बड़ा करने से नहीं अपितु सिचांई की समुचित व्यवस्था से ही संभव हो सकेगा, जिसके लिए कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता पडेगी। सभी महत्वपूर्ण उद्योग सरकार के स्वामित्व में होने चाहिए। कृषि राज्य का उद्योग होना चाहिए जिसे राज्य द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य पूरी भूमि को अपने स्वामित्व में लेकर खेती के लिए पट्टे पर एक निश्चित आकार में ग्रामवासियों को दे देगा जिसपर सभी परिवार मिलकर सामूहिक खेती करेंगे। बाबा साहेब ने औद्योगिकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया जिससे कि कृषि क्षेत्र में लगी हुई सरप्लस लेबर को उद्योगिक क्षेत्र में लगाए जा सके। इस प्रकार अंबेडकर के सार्वजनिक वित्त तथा कृषि पर विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं जो भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था में भी लागू होते हैं।

राजनैतिक विचारधारा

अंबेडकर की राजनैतिक विचाराधारा में पश्चिम की उधारवादी तथा साम्यवादी दोनों परंपरा अंर्तनिहित है। बाबा साहेब व्यक्ति विशेष का समाज के साथ संबंध मानव मूल्यों पर आधारित मानते हैं। बाबा साहेब मानवतावादी, विवेकशील, गतिशील बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं जो कि सभी मानवीय मूल्यों का स्त्रोत होते हुए जीवन के बहुत निकट है। बाबा साहेब ने जब–जब हिंदू धर्म की इसमें व्याप्त संकीर्णता के लिए आलोचना की है तो उन्होंने यह आलोचना व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा समानता के मद्देनजर की है। जब भी बाबा साहेब दलित समुदाय के लोगों की दुदर्शा की बात करते हैं तो बाबा साहेब एक समानता पर आधारित समाज की परिकल्पना करते हैं। अतः अंबेडकर को एक कट्टर पंथी कहना या साम्यवादी कहना नितांत गलत है। अंबेडकर का विकास स्वतंत्र परंपराओं में हुआ है जो उन्हें उनके समकालीन व्यक्तियों से भिन्न करता है। कई मुद्दों पर बाबा साहेब के विचार जवाहर लाल नेहरू जैसे स्वतंत्र विचारकों से भी मेल नहीं खाते थे। बौद्ध धर्म अपनाते समय बाबा साहेब अंबेडकर भले ही रूढ़िवादी प्रतीत होते हों परंतु गांधी तथा दूसरे नेताओं का विरोध करते समय बाबा साहेब कभी भी रूढ़िवादी नजर नहीं आए। कुछ निश्चित बिंदुओं पर वे बहुत ही सुधारवादी (मार्क्स) नजर आए परंतु भारतीय समाज को समझने में अपने पूरे जीवन में उनके मार्क्स से भी मतभेद रहे। दूसरे शब्दों में अंबेडकर के राजनैतिक विचारों को समझने के लिए एक नई भाषा की आवश्यकता है।

दलित विचारधारा

अंबेडकर ने भारतीय समाज के दलित तथा शोषित वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अंबेडकर के बिना इस वर्ग के लोगों को मिलने वाली सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंबेडकर स्वंय भी हिंदु परंपराओं से शिकार थे। अंबेडकर ने सर्वप्रथम दलितों की इस समस्या को सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों के साथ जोड़कर देखा। इसके चलते हुए ही भारत के इस दलित समाज में अपने अधिकारों के लिए जागरूकता आई। अंबेडकर का मानना था कि दलितों की समस्या एक राजनैतिक समस्या है। दलित और महिलाएं दोनों मिलकर यद्यपि भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से का निर्माण करते थे परंतु उनके प्रतिनिधित्व के अनुसार समाज में उनकी अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य के लिए यह संभव नहीं था की वह एक धर्मनिरपेक्ष तथा सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सके। दलितों के अधिकारों के लिए बाबा साहेब ने कई प्रकार की पत्र–पत्रिकाएं, जैसाकि मूक नायक, बहिष्कृत भारत तथा इक्वेलेटी जनता का प्रकाशन किया। बाबा साहेब ने जन आंदोलन तथा पद यात्रा द्वारा लोगों को एकत्र कर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया जिसमें सार्वजनिक जलाशयों से दलितों का पानी लेना इत्यादि प्रमुख थे। उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाने के लिए भी संघर्ष किया। बाबा साहेब ने महद में दलितों को मुख्य तलाब से पानी लेने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब के शब्दों में बुद्धिज्म केवल धर्म मात्र ही नहीं अपितु एक सामाजिक दर्शन है जो जात–पात पर आधारित समाज का खण्डन करता है। अंबेडकर के अनुसार

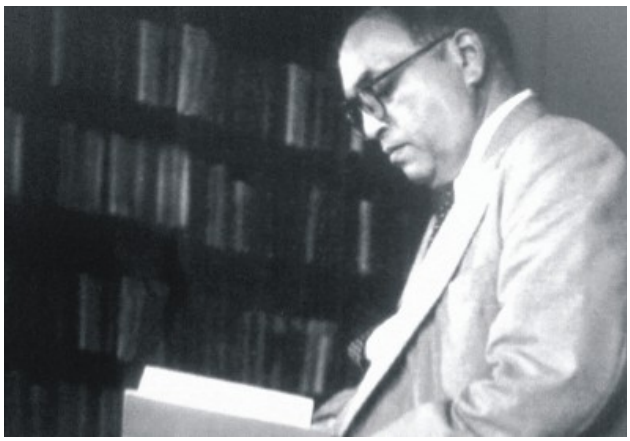

बौद्ध धर्म अपनाने पर सबसे पहले दलितों को सैकड़ों वर्ष पुराने जातिवाद की बेडियों को काट कर आजाद होने में सहायता मिलेगी और उसके उपरान्त वे एक सही पथ पर चलते हुए सुखद और खुशहाल समाज की स्थापना करेंगे। जिसका लाभ पूरी मानव जाति को मिलेगा। समकालीन दलित राजनीति ने जाति व्यवस्था में बहुत गहरी पैट बना ली है। जात पात की राजनीति से समाज के एक विशेष वर्ग को ही शक्ति मिल पाती है। जिसके परिणामस्वरूप अन्य जाति, विशेषकर पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का बहुत भारी शोषण होता है। अंबेडकर ने इस व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष किया है।

बुद्धिज्म

बाबा साहेब ने अपने आर्टिकल "बुद्ध तथा बौद्ध धर्म का भविष्य" जोकि उन्होंने 1950 में महाबौधी सोसाइटी के जनरल में लिखा था, बुद्धिज्म पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाबा साहेब के अनुसार किसी धर्म के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें मानवीय मूल्यों का समावेश ही हो परंतु ये मानवीय मूल्य स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे जैसे सिद्धांतो का अनुसमर्थन भी करते हों। 1956 में बाबा साहेब की वार्ता "मुझे बुद्धिज्म क्यों पसंद है तथा वर्तमान समय में बुद्धिज्म ही क्यों संसार की आवश्यकता है" नाम से बीबीसी लंदन में प्रसारित हुई थी। इस वार्ता में बाबा साहेब ने कहा था कि वे बुद्धिज्म को इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें तीन सिद्धांत एक साथ प्रतिपादित होते हैं जो किसी दूसरे धर्म में नहीं है। बुद्धिज्म हमें प्रजना, करूणा और समता सिखाता है और ये तीनों ही सुखी मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य शरीर नश्वर है और इसी प्रकार हमारे विचार भी नश्वर है। हमारे विचारों को प्रचार की ठीक उसी प्रकार आवश्यकता है जिस प्रकार एक पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता। दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में सुख कर मृत हो जाएंगे। अंबेडकर ने धम्म और धर्म में भी भेद किया है। उनके अनुसार धर्म एक बहुत की निजी वस्तु है जो कि एक व्यक्ति विशेष की धरोहर है। इसके विपरीत धम्म एक सामाजिक वस्तु है। इसका स्वरूप मूल तथा शास्वत है अतः यह धर्म से भिन्न है। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी उनके दर्शन से बहुत प्रभावित थे जिसमें बुद्ध धर्म पर चलते हुए एक समाज की परिकल्पना थी।

भारतीय इतिहास में बाबा साहेब का स्थान

बाबा साहेब एक सामाजिक, राजनैतिक सुधारक थे जिनका आधुनिक भारत पर बहुत गहरा प्रभाव है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में बाबा साहेब से विचारों को बहुत बल मिला। उनके दिल्ली के 26 अलीपुर रोड निवास को स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। बाबा साहेब की जंयती को प्रतिवर्ष सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1990 में, मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान "भारत रत्न" प्रदान किया गया है। बाबा साहेब का प्रभाव भारतीय समाज में सर्वत्र देखने को मिलता है। उनके नाम पर कई प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय कॉलेज इत्यादि स्थापित किए गए हैं। हैदराबाद में डा. बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिर्वसिटी, बीआर अंबेडकर बिहार यूनिर्वसिटी, मिर्जापुर, डा. बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिर्वसिटी औरंगाबाद, तथा नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट स्थापित है। भारतीय संसद में बाबा साहेब की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। बाबा साहेब की बुद्ध धर्म में रूचि से प्रभावित होकर अनेक भारतीयों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है।

निष्कर्ष

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक थे जिनका आधुनिक भारत पर बहुत ही गहरा प्रभाव है। स्वतंत्रता उपरांत भारत में उनके सामाजिक राजनैतिक विचारों को व्यापाक रूप से समर्थन मिला है। यह महानायक आजीवन दलितों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकार के लिए संघर्षरत रहा। बाबा साहेब को प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल में देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बाबा साहेब को वर्ष 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब का जीवन उन सभी के लिए बहुत ही आर्दश है जो निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहते हैं।

साभारः

डा. पी सुब्रामण्याचारी का शोध पत्र

अनुवादः राम पाल

डॉ. बी. आर. अंबेडकर एवं भारत में महिला सशक्तिकरण

सार – डॉ. अंबेडकर ने दृढ़ निश्चयी योद्धा एवं गंभीर विद्वान के रूप में समाज को आज़ादी, समता एवं भाईचारे के पथ पर बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत में महिलाओं की उन्नति के रास्ते में आने वाली बेड़ियों को तोड़ा।

डॉ. अंबेडकर ने अपने आंदोलन की शुरुआत 1920 में की। उन्होंने हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के विरोध में प्रबल प्रचार शुरू किया एवं 1920 में उन्होंने पत्रिका मूकनायक एवं 1927 में बहिष्कृत भारत को इस उदेश्य के साथ शुरू किया। इस प्रकाशन के जरिये उन्होंने लिंग समता एवं शिक्षा की आवश्यकता तथा शोषित के साथ ही साथ महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताया।

डॉ. अंबेडकर मुंबई विधानसभा में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन नीति का पुरजोर समर्थन किया।

डॉ. अंबेडकर ने अपना जीवन महिलाओं की स्थिति को सुधारने में लगा दिया चाहे वह बुरे कामों या व्यवसाय जैसे देह–व्यापार में क्यों न संलग्न हो।

अंबेडकर ने गरीबों, अशिक्षित महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाई एवं उन्हें अन्याय एवं बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अंबेडकर ने राजनीतिक शब्दकोश एवं भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकार को समाहित करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने हिन्दू कोड विधेयक पर बल दिया जिसके अंतर्गत उन्होने सभा में मूलभूत सुधार एवं संशोधन का सूझाव दिया। उन्होंने सभी संसदीय सदस्यों से विधेयक को संसद में पारित करने में सहायता करने के लिए आह्वाहन किया। संभाव्यता, उन्होंने इस कारण से इस्तीफा दिया। इस प्रकार, उनका महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनका गहरा चिंतन एवं भावनाएं उनके प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में प्रकट होता है।

परिचय

डॉ. बी० आर० अंबेडकर बीसवीं सदी में भारत के महानतम चिंतकों में से एक थे। पौल बैरन प्रतिष्ठित मार्क्सवादी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने एक निबंध में 'बुद्धिमान कार्यकर्ता' तथा 'बुद्धिवादी' के बीच में भिन्नता को प्रकट किया है। उनके अनुसार पूर्ववर्ती अथवा बुद्धिमान कार्यकर्ता वह है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग जीवन निर्वाह के लिए करते है तथा उत्तरवर्ती अथवा बुद्धिवादी वह है जो इसका प्रयोग आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए करते है। डॉ. अंबेडकर बैरन के बुद्धिवादी की परिभाषा को पूरी तरह से चरितार्थ करते है। डॉ. अंबेडकर, एटोनियों ग्रामसी द्वारा कहे गए 'व्यापक दृष्टिकोण' के उत्कृष्ट उदाहरण थे जो कि समाज के सभी वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे।

डॉ. अंबेडकर दृढ़निश्चयी योद्धा एवं गंभीर विद्वान के रूप में विश्व के कुछ सबसे सम्मानित विश्वविद्यालयों से उच्चतर शैक्षिक ओनर्स किया। उन्होंने समाज को स्वतन्त्रता, समता एवं भाईचारे के पथ पर अग्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह वर्ष 2012 में हिस्ट्री टी०वी०18 एवं सीएनएनआई बी एन द्वारा हाल ही में कराये गए सर्वेक्षण से साबित होता है। सर्वेक्षण में 'महात्मा गांधी के बाद कौन सबसे महान है ?' यह प्रश्न भारत के लोगों से किया गया। प्रतिभागियों में प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, गायिका लता मंगेशकर, उद्योगपति जे०आर०डी० टाटा, ए०पी०जे० अब्दुल कलाम एवं वल्लभभाई पटेल इत्यादि थे।

डॉ. बी०आर० अंबेडकर विजेता घोषित हुए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने परिणामों की घोषणा पर विचार दिया, 'वह एक महान विद्वान, संस्थागत निर्माणकर्ता एवं आर्थिक विश्लेषणवादी थे'।

प्रोफेसर ए.के. सेन ने भी कहा ''अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता समान हैं। वह सच्चे अर्थों में शोषितों के

प्रख्यात समर्थक थे। उन्होंने जो भी आज प्राप्त किया है, उससे अधिक के हकदार हैं। हालांकि वह अपने ही देश में ही काफी विवादास्पद थे यद्पि यह वास्तविकता नहीं थी। उनका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय रहा है एवं हमेशा यादगार रहेगा।

अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान निर्माता थे बल्कि वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, संपादक, सामाजिक सुधारक एवं बौद्ध धर्म को पुर्नरूत्थानकर्ता थे तथा भारत में महिलाओं के उत्थान में आने वाली बेड़ियों को तोडने वाले वे प्रथम भारतीय थे।

उन्होंने कहा कि महिलाओं का मुख्यतः सामाजिक शिक्षा, उनका स्वास्थ्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक वर्ग की भारतीय महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहिए एवं महिलाओं की गरिमा एवं मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए।

डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं द्वारा संचालित आंदोलनों पर बल दिया उन्होंने यह भी कहा कि यदि महिलाएं जीवन के प्रत्येक चरण में अपने अंदर आत्मविश्वास ले आएं तो वे सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्येक विवाहित महिला को अपने पति की गतिविधियों में एक मित्र की भांति हिस्सेदार होना चाहिए किंतु उन्हें परतंत्रों की तरह जीवन को अस्वीकार करने का साहस अवश्य दिखाना चाहिए। उन्हें समता के आदर्श पर बल देना चाहिए। यदि प्रत्येक महिला इस आदर्श का अनुसरण करेंगी तभी वे सच्चे अर्थों में सम्मान एवं स्वयं की पहचान को बना सकेगी।

विश्लेषण एवं चर्चा

डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आंदोलन की शुरूआत 1920 में की। उन्होंने कहा ''हम अच्छे दिन जल्दी देखेंगे एवं हमारी तरक्की की गति और तीव्र होगी यदि पुरूष शिक्षा के साथ यदि महिला शिक्षा को स्वीकार किया जाए। ''उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के विरोध में तीव्र प्रचार किया एवं इस उद्देश्य के लिए 1920 में पत्रिका ''मूकनायक'' एवं 1927 में ''बहिष्कृत भारत'' को जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से उन्हों ने लिंग समता तथा शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया एवं शोषितों के साथ ही साथ महिलाओं की समस्या ओं को अभिव्यक्त किया।

अम्बेडकर का महिलाओं के विषय पर विचार, उनके शिक्षा के अधिकार पर जोर, पुरूष के समान उनके साथ व्यवहार, संपत्ति का अधिकार एवं राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी वैश्विक नारीवादी मांग से समता रखती थी। जैसा कि जे.एस. मिल ने महिलाओं की पराधीनता में व्यक्त किया कि पुरूष का महिलाओं पर कानूनी अधीनीकरण अपने आप में अनुचित है एवं यह मानव विकास के पथ पर सबसे बडा अवरोध है तथा इसको आदर्श समता के सिद्धांत के साथ प्रतिस्थापित करना चाहिए तथा यह भी स्वीकार किया कि एक तरफ न तो विशेषाधिकार होना चाहिए और न ही दूसरी तरफ असमर्थता। अम्बेडकर साहब भी महिलाओं पर किए गए अपने कार्य में उनके समान विचार रखते थे।

जनवरी 1928 में महिलाओं का एक संगठन गठित किया गया जिसकी अध्यक्षा अम्बेडकर साहब की पत्नी रामाबाई थीं। वर्ष 1930 में नासिक में कलराम मंदिर प्रवेश सत्याहग्रह हुआ जिसमें 500 महिलाओं ने भाग लिया एवं उनमें से कई पुरूषों के साथ गिरफ्तार भी हुई एवं जेल में उनके साथ दुव्यर्वहार भी किया गया। उन्होंने कहा ''हजारों बार मरना एक अपमान भरी जिंदगी से बेहतर है हम अपने जीवन का बलिदान कर देंगे किंतु हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे''। महिलाओं के इस आत्म सम्मान एवं दृढ निश्चय का श्रेय अम्बेडकर जी को है।

डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक सुधार में महिलाओं की भूमिका पर विश्वास करते थे। ऐतिहासिक महद सत्याग्रह में 300 महिलाओं के साथ उनके पुरूष साथी सहभागिता के साक्षी बने। एक अन्यत्र 300 महिलाओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा ''मैं समुदाय के विकास को उस समुदाय में शामिल महिलाओं के विकास से मापता हूं जो कि उन्होंने प्राप्त की है। प्रत्येक लडकी जो कि विवाह करती है उसे अपने पति के साथ कंधे से कंधा

मिलाकर खड़े होने दो उसे अपने पति के मित्र एवं बराबर होने का अधिकार प्रदान करो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि मेरी सलाह का अनुसरण किया जाए तो आप अपने अंदर सम्मान एवं गौरव पाएंगी।

उन्होंने बंबई विधान सभा में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन उपाय को मजबूती से समर्थन किया। वर्ष 1942 में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में श्रम मंत्री रहते हुए मातृलाभ विधेयक को प्रस्तुत किया। उन्होंने महिलाओं के कल्याण एवं नागरिक अधिकार की रक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधानों को पेश किया। उन्होंने संसद में हिंदू कोड विधेयक को रखा एवं महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के मुद्दे को रेखांकित किया। बिल को कई राजनेताओं से कड़ा विरोध मिला। डॉक्टर अम्बेडकर ने संसद द्वारा महिला के अधिकार की अस्वीकृति पर अपनी असहमति जताते हुए इसके प्रत्युत्तर में अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे को भी उठाया। उनके धर्मनिरपेक्ष विचार के बारे में हमें मुस्लिम महिलाओं के पर्दा प्रथा (हिजाब), धार्मिक धर्मातंरण एवं कानूनी अधिकार पर उनके विचार के माध्यम से पता चलता है। संक्षेप में शोषित वर्ग की महिलाओं के साथ सभी महिलाओं की मुक्ति के लिए उनका विचार समान निष्ठा के साथ प्रकट हुआ।

अम्बेडकर ने ब्रह्म समाज या आर्य समाज द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार पर नहीं वरन समता के आधार पर हिंदू समाज के पुनर्निमाण पर जोर दिया था क्योंकि इन समाज सुधारकों द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार उच्च वर्ग के तबकों तक ही सीमित था। उनके स्मृति एवं शास्त्र के गहन अध्ययन तथा मंदिर प्रवेश आंदोलन के दौरान उच्च जाति के लोगों की प्रक्रिया से प्राप्त अनुभव ने उनके हिंदु दर्शन एवं समाज पर उन्हें अपना निष्कर्ष बनाने में मदद प्रदान की। अम्बेडकर से प्रेरित होकर कई महिलाओं ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी लेखनी चलाई एवं तुलसीबाई बनसौदे ने 'चोखामेला' समाचार पत्र शुरू किया। इससे प्रकट होता है कि कैसे अम्बेडकर साहब ने गरीबों अशिक्षित महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाई एवं बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा जैसी अनुचित एवं सामाजिक अव्यवस्था के विरोध में आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया।

डॉ अंबेडकर ने जोर देकर कहा ''मैं महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन पर दृढ़ता से यकीन करता हूं यदि उन्हें सच्चे अर्थों में विश्वास में ले लिया जाए तो वह समाज के वर्तमान परिदृश्य जो कि अत्यंत जीर्णावस्था में है को बदल सकती हैं। अतीत में उन्होंने कमजोर तबके एवं वर्गों की स्थिति को सुधारने में महत्ववपूर्ण भूमिका निभाई''। उन्हों ने हमेशा महिलाओं को उनके कार्य एवं लगन के लिए सम्मानित किया।

महिलाओं को संबोधित करते हुए वे उनसे एक आत्मीय रिश्ता स्थापित कर सहज वार्तालाप करते थे। वह महिलाओं को निम्न शब्दों में आह्वान्वित किया ''कभी ऐसे वस्त्र न धारण करो जो हमारे व्यक्तित्व एवं चरित्र को अपमानित करें हर जगह शरीर में गहने पहनने से बचें नाक में छेद कराना एवं नथ पहनना सही नहीं हैं''। इसी प्रकार उन्होंने सभी बुरी प्रथाओं, आदतों एवं वे तरीके जो जीवन को मुश्किल एवं जटिल बना दें उन सबकी आलोचना की एवं आश्चर्यजनक रूप से अशिक्षित महिलाएं भी हृदय से उनकी सलाह का अनुसरण करती थीं।

डॉक्टर बाबा साहेब ने महिलाओं के सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया चाहे वह किसी बुरे काम में या व्यवसाय जैसे देह व्यापार में क्यों न लगी हो। इसका सबसे बडा उदाहरण कामाथीपुरा में देखने को मिला। डेविड नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक वेश्यालय में मध्यस्थता का कार्य करता था उसने अपना व्यवसाय डॉक्टर अंबेडकर के विचार एवं शिक्षाओं से प्रभावित होकर छोड दिया।

मनुस्मृत्ति में मनु ने न केवल महिलाओं को तिरस्कृत किया बल्कि उन्हें गुलामों एवं बुद्धिहीन की तरह अपमानित भी किया, उन्हें शिक्षा के अधिकार एवं संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा तथा उन्हें बलिदान करने की प्रथा से भी अछूता रखा। भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं संविधान सभा के प्रलेखन समिति के अध्यक्ष रहते हुए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कर्तव्य मनु द्वारा बनाए गए हिंदू सामाज के कानून में सुधार करके उन्होंने महिलाओं को सदियों की दासता से मुक्त करना चाहा। इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया एवं संविधान सभा में हिंदू कोड विधेयक प्रस्तुत किया।

डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक शब्दकोश एवं भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह से समाहित करने का अथक प्रयास किया।

अनुच्छेद 14 – राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवं समान अवसर

अनुच्छेद 15 – लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक

अनुच्छेद 15 – (3) महिलाओं के लिए विशेष उपबंध को निवारित न करना

अनुच्छेद 39 – जीवन निर्वाह के बराबर अधिकार एवं समान कार्य के लिए समान वेतन

अनुच्छेद 42 – मानवीय परिस्थिति एवं मातृ लाभ

अनुच्छेद 46 – राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थसंबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 47 – राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य इत्यादि का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51 – (क) (स) ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

अनुच्छेद 243 – (3), 243 ट(3), 243 र(4) पंचायती राज व्यवस्था में सीटों का आवंटन उपलब्ध कराता है।

हिन्दू कोड विधेयक महिलाओं की संपत्ति के अधिकार एवं अंगीकरण को स्वीकृति प्रदान करता है। जो कि मनु द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसने सभी कानूनी मामलों में स्त्री –पुरूष को बराबर दर्जे पर रख दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा '' मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाना चाहता हूं। महान दार्शनिक बुक जिन्होंने फ्रेंच क्रांति के विरोध में अपनी पुस्तक लिखी थी उन्होंने कहा कि जो संरक्षित होना चाहते हैं उन्हें हमेशा प्रतिपूर्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इस सदन से बस यही कहना चाहता हूं कि यदि आप हिंदू प्रथा, हिंदू संस्कृति एवं हिंदूसमाज को सुव्यवस्थित बनाए रखना चाहते हैं तो जहां सुधार की संभावना है उसे करने में संकोच न करें। यह विधेयक केवल हिंदू प्रथा के उन भाग को जो जीर्णावस्था में है उनमें केवल सुधार की अपेक्षा रखता है।

दिनांक 27 सितम्बर 1951 को प्रधानमंत्री को संबोधित अपने इस्तीफे पत्र में उन्होंने लिखा "बहुत लम्बे समय से मैं केबिनेट से इस्तीफे का विचार कर रहा था। केवल एक विचार मुझे यह करने से रोक रहा था कि वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले हिन्दू कोड विधेयक को अस्तित्व में ले आऊं इसके लिए यहां तक कि विधेयक को कई भागों में विभाजित करने के लिए सहमत हो गया एवं इसे विवाह एवं विवाह विच्छेद तक सीमित इस आशा से कर दिया कि हमारी मेहनत का कुछ भाग सफल हो जाए। किन्तु विधेयक के हिस्से भी सफल होने में नाकाम रहे अतः मुझे आपकी केबिनेट के सदस्य रहने में कोई सार्थकता नहीं दिख रहीं।"

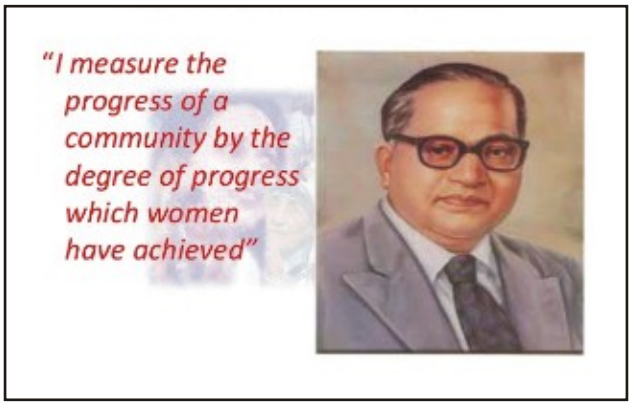

कालांतर में हिन्दू कोड विधेयक 4 विधेयकों में बंट गया और उसको संसद के द्वारा संविधान पुस्तिका में अंकित किया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दूव उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू अल्पसंख्यक एवं संरक्षण अधिनियम 1956 और हिंदी अंगीकार एवं रख–रखाव नियम 1956 यह चार अध्यादेश जिसमें डा. अंबेडकर द्वारा सूत्रबद्ध किए गए हिन्दू कोड विधेयक के विचार एवं सिद्धांतों को समाहित किया गया। इस अधिनियम में महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की एवं उन्हें अंगीकरण, उत्तराधिकार एवं संपत्ति के अधिकार से सुशोभित किया जो मनु द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था। अतः यह स्वयंसिद्ध है कि डा. अंबेडकर के प्रयासों के कारण हिन्दू समाज के कानून का बड़ा हिस्सा आधुनिक पश्चिमी देशों में मौजूद कानूनी व्यवस्था के समतुल्य है।

निष्कर्ष

संसद में अम्बेडकर की मृत्यु पर शोक संदेश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा "डा. बाबा साहब अंबेडकर हिन्दू समाज के सभी दमनकारी लक्षणों के विद्रोह के प्रतीक थे"। लैगिक समानता के आधार पर समाज के निर्माण का उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ एवं इसलिए सामाजिक पुनर्निर्माण में उनके वे विचार महत्वपूर्ण है जो महिला सशक्तिकरण के पक्ष में है।

डा. अंबेडकर ने सभी महिलाओं की जीवन की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए एवं उन्हें बराबर सम्मान देना चाहिए। उन्होंने सभा में हिन्दू कोड विधेयक में सुझाए गए आधारभूत सुधार एवं संशोधन पर बल दिया। उन्होंने सभी संसदीय सदस्यों से संसद में बिल को पारित कराने के लिए मदद के लिए आग्रह किया। परिणामतः इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डा. अंबेडकर की शिक्षाएं एवं विचार न केवल महिलाओं के लिए वरन् सम्पूर्ण समाज के लिए लाभ दायक थी। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी गहरी चिन्ता एवं भावनाएं प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में झलकती है। सदन में उनके अंतिम भाषण में महिलाओ के लिए उनकी भावनाओं एवं सम्मान को भली–भांति समझ सकते हैं।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "पाकिस्तान और भारत के विभाजन" में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं एवं उनकी धार्मिक परम्परा, हिजाब पहनने, उनके विवाह आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। मुस्लिम महिलाएं विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत शोषित होती रहती है। बाबा साहब का सभी महिलाओ के प्रति चाहे वे किसी भी धर्म, जात एवं वर्ग की हो उनके प्रति मानवीय विचार रखते थे। उन्हों्ने महिलाओं के प्रति हो रहे हर तरह के अत्याचार के विरोध में आवाज उठाई।

साभारः

डा. एम.आर. सिंगारिया का व्याख्यान

अनुवादः स्निग्धा त्रिपाठी, उप प्रबंधक

डॉ. अंबेडकर – एक महान अर्थशास्त्री

काफी लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि डा. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें "भारतीय संविधान के शिल्पी" के रूप में जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने "रूपए की समस्या (दि प्रॉबल्मं आफ रूपी)" पर शोध कार्य किया तथा डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। 1930 दशक की आरंभिक अवधि में उन्होंने मुम्बई सिडेनहम कालेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया।

अंबेडकर का पक्का विश्वास था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मूलभूत कारण इसकी भूमि प्रणाली में परिवर्तन लाने में हुई देरी था। उनके अनुसार इसका समाधान लोकतांत्रिक समूहवाद था जिसमें आर्थिक दक्षता, उत्पादकता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

उनके अनुसार ऐसा करने से आर्थिक शोषण व सामाजिक अन्याय को मिटाया जा सकेगा। वे नहीं चाहते थे कि जनता भू–स्वामियों, किराएदारों अथवा भूमिहीन श्रमिकों में बंटी रहे। उनके मतानुसार आर्थिक यथार्थवाद में स्वतंत्रता तथा कल्याण दोनों का होना आवश्यक है।

निर्बाध अर्थव्यवस्था तथा वैज्ञानिक समाजवाद जैसे चरम विचारों की भर्तसना करना आर्थिक समस्याओं के प्रति उनकी धारणा को व्याक्त करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उनके आर्थिक विचारों की आधारशिला थी। पूंजीवादी प्रणाली द्वारा पैदा की गई सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने की उन्होंने वकालत की।

अंबेडकर अर्थशास्त्र के प्रखर विधार्थी थे। 'एंशियंट इंडियन कामर्स' पर उनके शोध से उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तथा 'दि इवेल्यूएश्न आफ प्रोविंशियल फाईनैंस इन ब्रिटिश इंडिया' पर शोध कार्य करने पर एमएससी(लंदन) तथा 'दि प्रॉबल्म आफ रूपी' पर उनके शोध पर डीएससी की डिग्री प्राप्त हुई। हिल्टन

यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किए गए उनके साक्ष्य भारत में मौखिक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण योगदान थे। स्मानल होल्डिंग, सामूहिक खेती, भू–राजस्व तथा जमींदारी उन्मूलन जैसे मामलों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस कार्य को लगभग चार दशक 1917 से 1956 का समय दिया तथा सभी प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं को उनके इस कार्य ने प्रभावित किया।

उनको इस बात का अहसास हो गया था कि अछूत भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं का समाधान भारत की कृषि समस्याओं अथवा विस्तृत रूप से आर्थिक समस्याओं के समाधान पर आधारित था। उन्होंने भू–राजस्व के निर्धारण में होने वाले अन्याय पर ध्यान आकर्षित किया तथा भू–राजस्व को आय कर के अधीन लाने की वकालत की।

उनकी 'दि प्रॉबल्म आफ रूपी' पुस्तक को एक निदेशात्मक ग्रंथ के रूप में माना गया। उनके अनुसार टकसालों को बंद करने से मुद्रास्फीति तथा आंतरिक मूल्य स्तर के परिवर्तन पर रोक लगेगी।

उन्होंने यह भी वकालत की कि मूल्य का मानक सोना हो तथा मुद्रा में लोचशीलता स्रोत से आनी चाहिए। अबेंडकर को ब्रिटिश प्रेस से प्राप्त अति प्रशंसनीय पुनरीक्षा इस बात का साक्ष्य है कि इस पुस्तक पर महानविद्वता एवं परिश्रम का कार्य किया गया है।

दि टाइम्स लंदन ने इस पुस्तक का वर्णन इस प्रकार किया है कि यह एक उत्कृष्ट कार्य है। इंगिलश स्टाइल बहुत सरल है तथा विषय पर उनका ज्ञान परिपूर्ण है।

फाइनेंसर के अनुसार 'अंबेडकर ने इस समस्या को बहुत ही सुबोधगम्य एवं प्रशसंनीय रूप से समझाया है तथा न केवल इसके मूल के कारण को प्रस्तुत किया है अपितु समाधान के लिए मूल्यवान प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं जिनका अध्ययन बैंकर्स तथा उन व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनका व्यापार एक्सचेंज पर आधारित है।

अंबेडकर जी का प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, ज्ञान लालसा, पुस्तकों के प्रति जुनून तथा विद्वता अद्वितीय थी। वे अति उत्सुक पाठक थे तथा उन्हें सात भाषाओं का ज्ञान था। पुस्तकों के प्रति अपने जुनून का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया हो, ये पुस्तकें मुझे उनके दिलों तक ले जाती हैं।

अंकित शब्दों के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें गहनता एवं दूरदृष्टि के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तृत लेख लिखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित किया है। अंबेडकर की पुस्तक 'पाकिस्तान' ने अनेक विचारकों एवं राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि इस पुस्त्क में उन्होंने समुदाय एवं राष्ट्र के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। मुहम्मद अली जिन्ना ने इस पुस्तक को पढ़ा तथा गांधी जी को इस पुस्तक को पढ़ने का अनुरोध किया। महात्मा जी ने स्वीकार किया है कि 'यह कुशलतापूर्वक लिखी गई है'। साथ ही यह टिप्पणी भी की कि 'यह उनकी दोष सिद्धि नहीं करती'।

दिसम्बर 5, 1956 को उन्होंने अपनी पुस्तक 'बुद्धा' का लेखन कार्य पूरा किया और अगली सुबह जब उनका सेवक चाय देने उनके कमरे में गया तो उसने उन्हें मृत पाया। निद्रा में ही उन्हें शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त हुई।

डा. अंबेडकर को वर्ष 1990 में उनके 99वें जन्मदिवस पर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरान्त दिया गया। देर से ही सही परन्तु इसे नवीन भारत के निर्माता को दी गई सामयिक श्रद्धांजलि के रूप में देखा गया।

" मैं भी बुद्ध जी के प्रवचनों की शरण में हूं कि स्वयं के पथ प्रदर्शक बनों। स्वयं के कारणों की शरण में रहो। दूसरों के परामर्श पर ध्यान न दें। दूसरों के सामने समर्पण न करें। सत्यवादी रहें तथा सत्य की शरण में रहें। किसी के सामने न झुकें। मुझे विश्वास है कि आपके निर्णय गलत नहीं होंगे। " – **डा. भीमराव अंबेडकर**

साभारः आर. सी. राजामनी

अनुवादः राजेन्द्र कुमार शर्मा, मु.का. प्रबंधक

बाबा साहेब और बौद्ध धर्म

धर्म मनुष्य को एकता के सूत्र में बाँधता है। इसको व्याख्यायित करने के लिए विश्व के प्रमुख विद्वानों ने अपनी राय अलग–अलग तरीके से व्यक्त की है। धर्म जब मानवीय एकता पर प्रहार करने लगे तो स्थिति भयावह हो जाती है और उसकी आलोचना के बीज प्रस्फुटित होने लगते हैं। विश्व के सभी धर्म आपस में प्रेम करना सीखाते हैं, लेकिन अंदरूनी असमानताएँ भी थोड़ा–बहुत देखने को मिल जाते हैं।

हजारों वर्ष से धार्मिक गुलामी की आड़ में वास्तविक मानवीय मूल्यों की हत्या होती रही है, इससे ग्रसित तबका अपने आप को उच्च तथा दूसरे को नीच मानता रहा है। इस ऊंच और नीच के फासले को खत्म करने के लिए पीड़ित तबके में पैदा हुए लोग निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं, इस आंदोलन में कुछ सवर्ण जातियों के लोगों ने भी अपनी सहभागिता दी है। मध्य काल से अब तक हुए आत्म सम्मान के आंदोलनों पर नजर डालें तो पता चलता है कि जातिवाद और ब्राहमणवाद से पीड़ित जनता की मुक्ति के लिए कबीर, रविदास, नानक, आदि जैसे महापुरुषों ने निरंतर अपनी लेखनी के माध्यम से मानव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। बाद के दिनों में राहुल सांकृत्यायन जैसे वैश्विक ख्याति प्राप्त बौद्ध चिंतक ने सामाजिक न्याय के लिए तैयार किए जा रहे रास्तों को शिद्दत के साथ बनाने का कार्य किया है।

20 वीं सदी में जब हम आजादी प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे उस समय भूख, गरीबी, लाचारी, छुआ–छूत, ऊंच–नीच अपने चरम पर था, आजाद होने के बाद हमें एक ऐसे राष्ट्र की जरूरत थी जिसमें हजारों साल

से चली आ रही कुरीतियाँ, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, जातिगत शोषण जैसे तत्वों की कोई जगह न हो। धर्म और जाति की बेड़ियां समाज को जकड़े रखी थी, दलितों और महिलाओं को जाति और लिंग आधारित प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, दलितों को गले में मटका और कमर में झाड़ू बाँध कर चलना पड़ता था, महिलाओं को मनुष्यता के मूल्यों से महरूम करके रखा गया था, उन्हें बच्चे पैदा करने और पर्दा प्रथा का पालन करने के लिए बाध्य किया जा चुका था। ऐसे में देश को इन कुरीतियों से मुक्ति का रास्ता तैयार करने वाले एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो दलितों और महिलाओं को मुक्ति दिला सके। उसी समय देश को डॉ. भीमराव अंबेडकर के रूप में एक ऐसा मुक्तिदाता मिला जो मानवीय मूल्यों के साथ–साथ सामाजिक मूल्यों के लिए भी समान रूप से चिंतनशील था। वे तात्कालिक समस्याओं का केवल हल ही नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली परेशानियों से निजात पाने एवं तात्कालिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयासरत थे। इसपर बाबासाहेब कहते हैं "कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सुधारा नहीं, केवल त्यागा जा सकता है। अर्थात उनका मानना था कि जब धर्म मनुष्यों के बीच खाई पैदा करने लगे और अपमानजनक जीवन जीने को बाध्य करे तो उससे किनारा कर लेना ही एक मात्र रास्ता बचता है। क्योंकि जब तक मनुष्य चिंतामुक्त नहीं होगा तब तक उसके लिए किसी भी बाह्य संरचना पर ध्यान देना संभव नहीं हो सकता जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए समाज सुधारकों ने सबसे पहले व्यक्तिगत क्लेशों को दूर करने, भाईचारा विकसित करने और सौहार्द के साथ जीवन जीने पर बल दिया। और सकारात्मक सोच को अपने अनुयायियों के अंदर संचारित करने का काम किया है। चूंकि बाबासाहेब अपने अनुयायियों के लिए केवल धर्म के रास्ते को ही प्रशस्त करना नहीं चाहते थे बल्कि उनके उद्धार के लिए भी मुक्ति मार्ग की खोज करना चाहते थे।

गौतम बुद्ध के साथ उनके अनुयायी द्वारा किए गए वार्तालाप से बाबासाहेब खासा प्रभावित थे जिसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करना उचित होगा। तथागत एक बार श्रावस्ती में पधारे हुए थे, उनके भिक्षुओं ने उनसे शिकायत की कि उनकी ध्यान साधना में बिघ्न पैदा करने हेतु कुछ लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं ताकि वे बौद्ध धर्म की उपासना को छोड़ कर वापस लौट जाएँ। लेकिन बुद्ध ने कहा कि इन छोटी–छोटी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, मनुष्य जब अपने लक्ष्य की ओर बड़ता है तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सफल वही होता है जो अपने पथ पर अडिग रहता है, जो बुरा करता हो उसके साथ भी अच्छाई से पेश आओ, सभी जीवों पर दया करो, कभी झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, कभी चोरी मत करो, सभी जीवों पर दया करो, कृतघ्न मत बनो। जैसी बातें बाबासाहेब के दिल को छू गयी और इस धर्म में उन्हें दलित/वंचित जनता की मुक्ति दिखी।

बाबा साहब के अनुसार बौद्ध धर्म में बताए गए दुःख, दुःख का कारण, दुःख निरोध के अंतर्गत बताए गए बातों को आत्मसात करने से मानव मुक्ति का द्वार खुलता है।

1. दुःख : इस दुनिया में दुःख है। जन्म में, बूढे होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुःख है।

2. दुःख कारण : तृष्णा, या चाहत, दुःख का कारण है और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रखती है।

3. दुःख निरोध : तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है।

4.दुःख निरोध का मार्ग : तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है।

बुद्ध का पहला धर्मोपदेश, जो उन्होने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन चार आर्य सत्यों के बारे में था।

अष्टांगिक मार्ग

गौतम बुद्ध कहते थे कि चार आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिएः

1. सम्यक दृष्टि : चार आर्य सत्य में विश्वास करना

2. सम्यक संकल्प : मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना

3. सम्यक वाक : हानिकारक बातें और झूठ न बोलना

4. सम्यक कर्म : हानिकारक कर्म न करना

5. सम्यक जीविका : कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना

6. सम्यक प्रयास : अपने आप सुधरने की कोशिश करना

7. सम्यक स्मृति : स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना

8. सम्यक समाधि : निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना

कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए, पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है। और लोगों को लगता है कि इस मार्ग पर सब साथ–साथ पाए जाते है। मार्ग को तीन हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है : प्रज्ञा, शील और समाधि।

बोधि

गौतम बुद्ध से पाई गई ज्ञानता बोधि कहलाती है। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पारमिताओं (पूर्णताओं) की निष्पत्ति, चार आर्य सत्यों की पूरी समझ और कर्म के निरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय, लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और आत्मा में विश्वास सब गायब हो जाते है। बोधि के तीन स्तर होते है श्रावकबोधि, प्रत्येकबोधि और सम्यकसंबोधि। सम्यकसंबोधि बौध धर्म की सबसे उन्नत अवस्था मानी जाती है। जो व्यक्ति यह साधना कर लेता है वह तमाम दुनियावी दुर्गुणों से मुक्ति पा लेता है। इस अवस्था में आने के बाद व्यक्ति के लिए भौतिक जीवन महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। वह समूचे ब्रह्मांड को अपने परिवार के रूप में आत्मसात कर लेता हैं। उसके लिए सब मनुष्य समान हो जाते हैं, यहाँ तक कि बुराइयों से लिप्त इंसान भी इनके लिए नकारा नहीं लगता। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन उन सब मे जो सबसे प्रमुख है वह यह कि बौद्ध धर्म ने भारत के वंचित लोगों में मुक्ति की एक आस जगाई। इसीलिए बाबासाहेब ने लंबे धर्माध्ययन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद बौद्ध धर्म को करुणा, मैत्री, समता, बंधुता, अहिंसा के प्रतिमानों पर उपयुक्त पाया और 14 अक्तूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। धर्मांतरण के बाद की स्थिति बहुत जटिल थी, नये धर्म के साथ जीवन जीने पर सामाजिक और सांस्कृतिक रुकावटें खडी होनी तय थी, जिसका सामना उन्होने शिद्दत से किया। बुद्धिजीवी वर्ग के बीच बौद्ध धर्म के महत्व का प्रचार–प्रसार करने के लिए उन्होने "Buddha and his Dhamma" (1957) नामक पुस्तक का लेखन किया। इसका हिन्दी में अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन ने "बुद्ध और उनका धम्म" नाम से किया। इस पुस्तक के माध्यम से बाबासाहेब ने विश्वधर्म के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को बौद्धधर्म को स्थापित करने में लगाने का सफल प्रयास किया। जिससे न केवल दलित जातियों के जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, बल्कि समस्त मानवजाति भी आने वाले दिनों में लाभान्वित होता रहेगा।

वी. के. पाण्डेय,
मुख्य महाप्रबन्धक (कार्मिक)

युग पुरुष भारत रत्न बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर जी

आधुनिक भारत के संविधान निर्माता, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के जीवन दाता, नारी के मुक्ति दाता , पिछड़ो के रहनुमा, दलितों के मसीहा परम पूज्य भारत रत्न भीम राव अंबेडकर जी के 125 वें जन्म दिवस पर कोटि–कोटि प्रणाम।

जब जब देश में, समाज में अंधविश्वास, अराजकता सामाजिक विषमता अत्याचार पैदा हुआ है भारतमाता ने किसी न किसी फरिस्ते को जन्म दिया है। उनमे से एक असाधारण व्यक्तित्व वाले बाबा साहेब थे जिन्होंने अपनी सूझ–बूझ, मेहनत, त्याग, बलिदान और ज्ञान के द्वारा शताब्दियों से चली आ रही जात–पात, ऊंच–नीच अंधविश्वास की रूढ़िवादी परम्परा को बिना हिंसा के उसके ऊपर ऐसा कठोर आघात किया की जुल्म करने वाले खुद शार्मिंदा हो गए और बाबा साहेब जी के मिशन समानता के सिद्धांत को अपनाने लगे जिसके कारण आधुनिक भारत का निर्माण हुआ और भारत देश में स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व के सिद्धांत का उदय हुआ जिसके कारण आज दुनिया में भारत को एक महान लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है।

14 अप्रैल 1891 का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन भारत में एक नए सूरज का उदय हुआ जिसे भारत रत्न बोधित्सव बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, बाबा साहिब जी का जन्म मध्यप्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था उनके पिता का नाम श्री राम मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था जो की महार जाति के थे जिसे लोग अछूत मानते थे।

बचपन से ही बाबा साहेब जी ने स्कूल के समय से ही बहुत अपमान सहा, स्कूल में उनको क्लास रूम के बाहर बैठाया जाता था और पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता था। बाबा साहेब जी को बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना करने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे अपमान के शिकार बच्चे बालपन में ही खुदकुशी कर लेते है या फिर असमाजिक तत्वों से मिल जाते है। पर धन्य है बाबा साहेब जी जो कभी भी विचलित नहीं हुए और न ही किसी का अनादर किया बल्कि रूढ़िवादी जुल्मों का सामना अपनी बुद्धिमता से किया और दिल में धकधक रही ज्वाला को काबू में रखकर अनेकों समस्याओं का सामना किया और मरणोपरांत दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए।

बाबा साहेब जी का जीवन हम सबके लिए एक मिशाल है जो हमें बुराइयों से सदबुद्धि के साथ लड़ने की प्रेरणा देता है और किसी भी हालत में देश प्रेमी और अहिंसा वादी बने रहने का पाठ पढ़ाता है। बाबा साहेब जी ने कहा हम शुरू से लेकर अंत तक भारतीय है।

1. बाबा साहिब जी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ौदा के महाराजा ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी न्यूयार्क भेजा और वापस आकर बड़ौदा के महाराजा के यहाँ सेना सचिव के पद पर कार्य करने लगे। पर सामाजिक आदर नहीं मिला जिससे दुखी होकर बाबा साहिब जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया उनका ये अपमान अछूत जाति में जन्म लेने के कारण हो रहा था। बाबा साहिब जी ने सोचा की मुझ जैसे पढ़े–लिखे के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार हो रहा है तो गांवों में रहने वाले अनपढ़ गरीब लोगों के साथ कैसा होता होगा और तभी बाबा साहिब जी ने संकल्प लिया कि चाहे मुझे सब कुछ त्यागना पड़े यहाँ तक कि अपना जीवन भी लोगो को भेदभाव की नीति से छुटकारा दिलाकर रहूँगा।

2. मूकनायक : बाबा साहिब जी ने 1920 में मूकनायक नामक पत्रिका का शुरुआत की जिसमे जातपात की भेदभाव नीति से होने वाले सामाजिक एव आर्थिक नुकसान से लोगों को बताया एवं समाज के कमजोर लोगों को इकट्ठा करने का कार्य करने लगे जिससे कि अछूत लोगों को भी दूसरे लोगों की तरह समानता का अधिकार मिले।

3. महाड़ तालाब का पानी 20 मार्च 1927 को बाबा साहिब जी ने डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को महाड़ तालाब से पानी पीने के लिए जनआन्दोलन चलाया जो की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। उस तालाब से जानवर पानी पी सकता था पर अछूत जाति का इंसान नहीं। बाबा साहिब जी के जनआन्दोलन के आगे लोगो को झुकना पड़ा और तालाब का पानी सभी को पीने के लिए मिलने लगा जिसकी याद में हर साल 20 मार्च को सामाजिक क्रांति के रूप में मनाया जाता है।

4. पृथक्क निर्वाचन का अधिकार : अछूत लोगो की सामाजिक आर्थिक और राजनितिक स्तर पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था तब बाबा साहिब जी ने डिप्रेस्ड क्लास नाम की सोसाइटी का गठन किया और उनके अधिकारों की लड़ाई लडने लगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में होने वाली राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जो 1927 में भारत आया और आकर देखा कि देर शाम के समय महात्मा गांधी जी सो रहे थे और नेहरू जी भी, पर बाबा साहिब जी देर रात तक पढ़ रहे थे जब उन्होंने बाबा साहिब जी से पूछा की बाबा साहिब महात्मा गांधी जी और नेहरू जी सो रहे हैं और तुम जाग कर पुस्तक क्यों लिख रहे हो। तब बाबा साहिब जी ने कहा "उनका समाज जाग रहा है इसलिए वे सो रहे हैं और मेरा समाज सो रहा है, मैं उन्हें जगाने के लिए पुस्तक लिख रहा हूँ।" भारतीय ब्रिटिश सरकार बाबा

साहिब जी के सामाजिक कार्यों से बहुत प्रभाभित थी।

बाबा साहिब देश के अछुतो के एकमात्र नेता थे उस समय अछूतों की आबादी 20% से ज्यादा थी उनकी बातों पर ध्यान देने के लिए उन्हें साइमन कमीशन का सदस्य 1928 में मनोनीत किया इसलिए ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहिब जी को गोल मेज सम्मलेन में भाग लेने के लिए 1930, 1931 और 1932 में इंग्लैंड बुलाया। बाबा साहिब जी ने अंग्रेज लोगों को जात–पात, भेद–भाव की वजह से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया और अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए अधिकार प्राप्त किया जिसके अनुसार डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का चुनाव केवल डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही कर सकते थे।

पूना पैक्ट 1932 : जैसे ही बाबा साहिब जी ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त किया महात्मा गांधी जी इस अधिकार के विरोध में भूख हडताल पर बैठ गए। उनका मानना था कि इस कार्य से हिन्दू समाज बंट जायेगा परन्तु बाबा साहेब महात्मा जी के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हुए और किसी भी समझौते पर हस्ताक्षार करने से मना कर दिया। उधर महात्मा गांधी जी ने भी एलान कर दिया जब तक बाबा साहिब जी हस्ताक्षार नहीं करेंगे वो अपनी भूख हडताल नहीं तोड़ेगे। करोड़ो डिप्रेस्ड क्लास के लोगो ने और दूसरे समाज के लोगो ने बाबा साहिब जी से विनती की कि वो महात्मा गांधी जी की जान बचाने के लिए डिप्रेस्ड क्लास के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए समझौता कर ले जिससे कि समाज टूटने से बच जाए। बाबा साहिब जी ने बड़े दुखी मन से 14 अक्टूबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए आरक्षित पदों की व्यवस्था की गई, इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।

6. मजदूर वर्ग के हितों की लड़ाई : 1936 में बाबा साहिब जी के नेतृत्व में इंडियन लेबर पार्टी का गठन हुआ और बाबा साहिब जी ने मजदूर वर्ग के लोगो की रक्षा करते हुए कार्य करने के घंटो में कमी कराई निश्चित वेतन, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया।

7. भारतीय सविधान का निर्माण : बाबा साहिब जी अर्थशास्त्र और कानून के सबसे बड़े विद्वान् थे और उन्हें बहुत सारी देशी, विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था इसलिए संविधान सभा ने उन्हें 9 दिसंबर 1946 में 7 सदस्यों वाली संविधान सभा वाली कमेटी का चेयरमैन बनाया। 7 सदस्यों में से 2 सदस्य कारोबार के लिए विदेश में बस गए और 4 सदस्य बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने लगे। बाबा साहिब जी ने अकेले संविधान का निर्माण किया उन्होंने ने इस

विशाल संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 8 दिन का समय लिया और भारतवर्ष को एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व में काफी लोकप्रिय है अपनी मूलभूत सिद्धांतो के कारण हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व पर आधारित है। ये संविधान सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के एक समान मानता है और सभी को एक प्रकार के अधिकारों को देने की गारंटी प्रदान करता है।

8. लिंग भेदभाव के खिलाफ : बाबा साहिब कहते हैं कि किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए ये आवश्यक है कि वह समाज में रहने वाले सभी लोगो को ऊंच–नीच, स्त्री–पुरुष के भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार प्रदान करें। इससे समाज और देश का विकास चौगुनी रफ्तार से होगा। बाबा साहिब जी की इस दूरदृष्टि को भारतीय संविधान व सरकार ने भी अपनाया और आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में अग्रसर है तथा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार, समाज और देश की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। अभी हाल में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस का फैसला सुनाते हुए कहा था कि कानून किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता इसलिए नारी को भी यह अधिकार है कि वह मंदिर में जाकर पूजा करे जहाँ पुरुष पूजा करने के लिए जा सकते हैं।

9. बुद्ध धर्म के शरण : बाबा साहिब जी जातपात और किसी भी तरह के भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने भेदभाव की निति को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किये। पर इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके। उनका मानना था कि भारत देश की हजारों साल की गुलामी का कारण जात–पात, भेद–भाव और वर्ण–व्यवस्था थी इसलिए इसको मिटाने के लिए बाबा साहिब जी ने मनुस्मृति का दहन किया। हिन्दू धर्म में जात–पात के भेद–भाव व इससे होने वाली सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्या से दुखी होकर बाबा साहिब जी ने कहा कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी। पर मैं हिन्दू रहकर मरूंगा नहीं। धर्म परिवर्तन करने से पहले बाबा साहिब जी ने सभी धर्मो का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और सभी धर्म के प्रमुख लोगों ने बाबा साहिब जी को उनका धर्म स्वीकार करने के लिए आमंत्रण दिया पर बाबा साहिब जी ने बुद्ध धर्म के अध्ययन से पाया कि यह धर्म अहिंसा और समानता के सिद्धांत को मानता है, इसलिए बाबा साहिब जी ने 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म ग्रहण किया। बाबा साहिब के अनुयायियों द्वारा "मानव–मानव एक समान, बुद्ध धर्म की यह पहचान" के नारे को बुलंद किया।

बाबा साहिब रोज सुबह बुद्ध धर्म की प्रेयर करते थेः

'नमोतस्य भगवतो हरहतो सस्मसम्बुदसै' जो की पाली भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद है कि मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल देश, समाज व मानव कल्याण के लिए किया।

10. पंचतत्व में विलीन : 6 दिसंबर 1956 का दिन भारतवर्ष के लिए अत्यन्त दुःख का दिन था, उस दिन बाबा साहिब जी ने दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान 26 अलीपुर, सिविल लाइंस में अंतिम सांस ली और अपने करोड़ो अनुयायियों को रोता बिलखता छोड कर पंचतत्व में विलीन हो गए। बाबा साहिब आज के युग में एकमात्र ऐसे महानुभाव हैं जो करोड़ो लोगों के दिलों में बसते हैं और उनका विचार पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है।

11. 14 अप्रैल का पर्व : बाबा साहिब के जन्म दिन को पूरी दुनिया में पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत देश के हर प्रान्त में बाबा साहिब का जन्म दिन 14 अप्रैल को बड़ी धूम–धाम से मनाया जाता है, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य गणमान्य लोग बाबा साहिब जी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर बाबा साहिब के द्वारा किये गए कार्यो के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और बाबा साहिब जी के बताये मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित रहते हैं। 14 अप्रैल का दिन देश में बहुत महत्व रखता है, करोड़ो लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मिठाई खिलाते हैं, जगह–जगह भोजन वितरण के कार्यक्रम होते हैं बाबा साहिब के जीवन से संबंधित चीजों व विचारों के बारे में प्रदर्शनी लगती है। इस दिन दिल्ली में पार्लियामेंट पर लाखों लोग एकत्र होते हैं और बाबा साहिब के समानता, भाई–चारा को

बनाए रखने के लिए भारत देश की प्रगति में अपना योगदान देने की कसम खाते हैं।

13. सिंबल ऑफ नॉलेज : बाबा साहिब जी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी न्यूयार्क से इकनोमिक्स में पीएचडी की। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने किसी विदेशी विश्वविधालय से सर्वप्रथम ये डिग्री प्राप्त की। प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. अमर्त्य सेन जी बाबा साहिब जी को अपना इकनॉमिक्स का गुरु मानते हैं। अभी हाल के वर्षों में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 साल पूरा होने पर 100 विद्यार्थियों का सर्वे कराया और बाबा साहिब जी को उनके द्वारा किये गए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों के लिए उस सूची में पहला स्थान मिला और उन्हें नॉलेज आफ सिंबल के खिताब से सुशोभित किया गया। ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बाबा साहिब जी का एक स्टेचू भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लगाया गया है ताकि इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी बाबा साहिब के विचारों को मानते हुए मानव कल्याण के उत्थान के लिए सार्थक करके यूनिवर्सिटी का नाम रौशन करें।

14. ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस :– एक मशहूर इंडियन टीवी चैनल ने 2012 को भारतीय लोगों से राय पूछी थी कि ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस किसे माना जाए, इसमें 10 लोगों की सूची में से एक को चुनना था। वोटों के आधार पर परम पूज्य बी.आर. आंबेडकर को इस आवर्ड से सुशोभित किया गया 11 अगस्त , 2012 में बाबा साहिब भीम राव आंबेडकर जी को करोड़ो वोट मिले जो के एक रिकॉर्ड है।

16. वर्ल्ड नॉलेज डे : बाबा साहिब जी के कार्यों से प्रभावित होकर UNO ने 14 अप्रैल को बाबा साहिब जी के जन्म दिवस को 'वर्ल्ड नॉलेज डे' घोषित किया है। ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है।

17. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदानः बाबा साहिब जी का भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबा साहिब जी ने अपनी पुस्तक जो कि प्रॉब्लम ऑफ रुपया : इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशंस पर थी को हिलटन यंग कमीशन

को भेट की इस पुस्तक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का आधार बनी।

बाबा साहिब जी ने शोषित समाज, नारी समाज, देश हित के लिए बहुत से सामाजिक आर्थिक एव राजनितिक क्षेत्रों में अनन्त कार्य किये जिसका उल्लेख करने के लिए सैकड़ो पुस्तकें भी कम है। आज करोड़ो लोग बाबा साहिब जी की विचारधारा से प्रभाभित होकर शिष्टाचार के लिए "जय भीम, जय भारत" बोलते हैं और बहुत से लोग अपने भाषण के प्रारम्भ में जय भीम बोलते हैं ताकि वे भूल से भी किसी के साथ भेदभाव न कर सकें। मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझाता हूँ कि मैंने भारत देश में जन्म लिया जहां पर नॉलेज आफ सिंबल(बाबा साहिब जी का जन्म हुआ)।

साथियों मैं सोने से पहले "जय भीम, जय भारत" बोल कर सोता हूँ। और "भारत माता की जय" बोलता हूँ ताकि जिंदगी के आखिरी शब्द रहे और सुबह उठकर जय भीम जय भारत बोलता हूँ ताकि सुबह की शुरुआत स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के मिशन के लिए कार्य कर सकूँ।

रोशन लाल गौतम
जनरल सेक्रेटेरी
एससी/एसटी एसोसिएशन,
एमएमटीसी दिल्ली रीजनल ऑफिस

भारत रत्न डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर एमएमटीसी एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलक

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

हम मन और आत्मा दोनों से भारतीय हैं।

– डॉ. बी.आर. अंबेडकर

We are Indians, firstly and lastly.

- Dr. B.R. Ambedkar

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर I, स्कोप काम्पलैक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

Designed & Produced by Nirman Advertising Pvt. Ltd.; Ph.: 011-24328510-11